

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1/2013 से 12/2014

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3-3/85-पार्ट-II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध, जिला हमीरपुर के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखों का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ के महत्वपूर्ण पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहे।

(क) उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र सिंह	1.1.2013 से 7.1.2013
2	श्री आशीष सिंहमार	7.1.2013 से 24.2.2014
3	श्री रोहन चन्द ठाकुर	25.2.2014 से 31.12.2014

(ख) उपमण्डलाधिकारी (ना) बड़सर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री ओपी ठाकुर	1.1.2013 से 31.1.2013
2	श्री अक्षय सूद	31.1.2013 से 21.2.2014
3	श्रीमति सोनिका ठाकुर	21.2.2014 से 16.6.2014
4	श्री अक्षय सूद	16.6.2014 से 31.12.2014

(ग) मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री सूरज प्रकाश सोनी	1.1.2013 से 30.3.2013
2	श्री सुरेश पटियाल	4.4.2013 से 16.8.2014
3	श्री सीता राम चौहान	20.8.2014 से 20.9.2014
4	श्री पृथी पाल सिंह	29.9.2014 से 6.11.2014
5	श्री सुखदेव सिंह ठाकुर	6.11.2014 से 31.12.2014

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने पर कुछ पैरों का निपटारा किया गया, परन्तु अन्य पैरों के निपटारे हेतु

मन्दिर न्यास द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप उनका निपटारा नहीं हो सका। अतः पुराने लम्बित पड़े पैरों के निपटारे हेतु मन्दिर न्यास शीघ्र उचित कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें, ताकि इन पैरों का निपटारा भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण "परिषिष्ट-A" में दिया गया है।

(ड) गम्भीर अनियमितताओं का सार

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी के अंकेक्षण अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है।

क्र० सं०	पैरा सं०	विवरण	(राशि लाखों में)
1	11	रसीदों से प्राप्त आय की राशि को विलम्ब से जमा करवाने बारे	1.68
2	15	समाचार पत्रों, मैगजीन स्मारिका सोविनियर में दिया गया विज्ञापनों पर अनियमित रूप में व्यय करना	0.99
3	16	निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किए बिना ही सहायक प्रवक्ताओं को स्टेज 2 पर उच्च वेतनमान (Sr. Scale) व नान कम्पाऊडिंग वार्षिक वेतन वृद्धियों का गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके अधिक भुगतान करने बारे	1.27
4	17	श्रीमति सुमनबाला सहायक प्रवक्ता कामर्स को सीनियर स्केल (Senior Scale) देने, गलत वेतन वृद्धि देने व निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किए बिना ही सलैक्शन स्केल प्रदान करने पर अधिक भुगतान करना	0.96
5	18	श्री रविकान्त पण्डित सहायक प्रवक्ता जीव विज्ञान को निर्धारित मापदण्डों की पूर्ण किए बिना ही अवधि 1.7.2012 से स्टेज 3 से एसोसियेट-प्रोफेसर स्टेज 4 में पदोन्नति का लाभ देने पर अधिक भुगतान करने बारे	8.54
6	26	मन्दिर न्यास द्वारा “सी” व “डी” श्रेणी के ठेकेदारों से वर्ष 2013 व 2014 में बिक्री कर की कम कटौती करने बारे	0.69
7	30	मन्दिर न्यास द्वारा डिपोजिट कार्य करवाने हेतु विभिन्न विभागों के पास जमा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	45.62
8	31	उपमण्डलाधिकारी (न०) वॉडर को ऋण के रूप में दी गई राशि को वापिस मन्दिर खाते में जमा न करवाना	0.32
9	32	मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न संस्थाओं/कार्यालयों को दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	30.00

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जॉच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री तारा चन्द महन्त, (सहायक नियन्त्रक) व श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 27.7.2015 से

21.11.2015 के दौरान दियोटसिद्ध में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 4/13, 4/14 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 10/13, 12/14 का चयन किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकानों के लेखों की आय की विस्तृत जांच हेतु माह 4/13, 4/14 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 4/13, 4/14 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-459/92 फिन (एल0ए0)-खण्ड-1-6621, दिनांक 1.11.2014 के अनुसार ₹127400 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु सहायक नियन्त्रक द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी0सी0 (ऑडिट) 609, दिनांक 20.11.2015 द्वारा मन्दिर न्यास प्रशासन से अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को भेजी जानी सुनिश्चित की जाए।

4 वित्तीय स्थिति

श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण "परिषिष्ट-B" में भी दिया गया है।

(क) दान व चढ़ावा निधि, मन्दिर निधि, गिरावट/हास निधि तथा संचित निधि की संयुक्त रूप से ली गई वित्तीय स्थिति

वर्ष 2013

(i)	प्रारम्भिक शेष 1.1.2013	269130534.48
(ii)	वर्ष में प्राप्त आय	175747313.15
(iii)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	29113789.00
(iv)	कुल प्राप्त राशि	473991636.63
(v)	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	(-) 119415736.70
(vi)	अन्तशेष की राशि	354575899.93

वर्ष 2014

(i)	प्रारम्भिक शेष 1.1.2014	354575899.93
(ii)	वर्ष में प्राप्त आय	194683448.50
(iii)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	32590591.00

(iv)	कुल प्राप्त राशि	581849939.43
(v)	वर्ष के दौरान भुगतान राशि	143161893.97
(vi)	अन्तशेष की राशि	438688045.46

दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि, जिसका रोकड़ वही के अनुसार निधिवार विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	निधि का नाम	31.12.2014 को बैंक में जमा राशि
(i)	चढ़ावा निधि	204611492.50
(ii)	दान निधि	55088833.96
(iii)	मन्दिर निधि	116394905.00
(iv)	गिरावट/हास निधि	31263970.00
(v)	संचित निधि	31328844.00
कुल योग		₹438688045.46

दिनांक 31.12.2014 को बैंक खाते व सावधि जमा खाते में निधिवार निवेशित राशियों का विवरण

(i) चढ़ावा निधि

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	31.12.2014 को खातों में कुल जमा राशि
1	यूको बैंक दियोटसिद्ध	40	1036321.36
2	कांगड़ा को-ओपरेटिव बैंक दियोटसिद्ध	197	4830987.00
3	भारतीय स्टेट बैंक चकमोह	108	11442459.09
4	एक्सस बैंक ऊना	7278	9178912.05
बचत खातों में कुल जमा राशि		—	26488679.50
विभिन्न सावधि जमा योजना में निवेशित राशि		—	(+) 178499212.00
दिनांक 31.12.2014 को जमा कुल राशि		—	204987891.50
दिनांक 31.12.2014 को रोकड़ वही के अनुसार चढ़ावा निधि के अन्तशेष की राशि		—	204611492.50
अन्तर की राशि		—	₹376399.00
		—	

अन्तर का समाधान:-दिनांक 26.11.2014 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा चकमोह में एफडीआर संख्या 7859 में निवेशित की गई ₹4043680 की परिपक्वता की तिथि पर ब्याज सहित ₹4420079 प्राप्त की गई, परन्तु ब्याज की ₹376399 को माह 7/2015 में रोकड़ वही के पेज नं० 373 पर दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है।

(ii) दान निधि

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	31.12.2014 को खातों में कुल जमा राशि
1	यूको बैंक दियोटसिद्ध	61	2835382.28
2	कांगड़ा को-ओपरेटिव बैंक दियोटसिद्ध	198	3627738.00
3	भारतीय स्टेट बैंक चकमोह	109	1391358.68

4	ऐक्सस बैंक ऊना	7217	4648587.00
5	पीएनबी मैहरे	192703	100142.00
	बचत खातों में कुल जमा राशि	—	12603207.96
	दिनांक 31.12.2014 को सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	—	(+) 42485626.00
	दिनांक 31.12.2014 को कुल जमा राशि	—	55088833.96
	दिनांक 31.12.2014 को रोकड़ वही के अनुसार दान निधि लेखे का अन्तशेष की गई राशि	—	₹55088833.96

(iii) मन्दिर निधि

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि	116394905.00
बचत खातों में जमा राशि	—
दिनांक 31.12.2013 को सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	116394905.00

(iv) गिरावट/हास निधि

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि	31263970.00
बचत खातों में जमा राशि	—
दिनांक 31.12.2014 को सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	31263970.00

(v) संचित निधि

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि	31328844.00
बचत खातों में जमा राशि	—
दिनांक 31.12.2014 को सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	31328844.00

(ख) जलपान गृह निधि

वर्ष 2013

(i) प्रारम्भिक शेष 1.1.2013	9124298.25
(ii) सावधि जमा योजना व बचत खातों में वर्ष 2013 में प्राप्त ब्याज	889951.00
वर्ष 2013 में प्राप्त आय	3969834.00
कुल राशि	13984083.25
वर्ष 2013 में व्यय की गई राशि	(-)2943756.00
दिनांक 31.12.2013 को अन्तशेष की राशि	11040327.25

वर्ष 2014

(i) प्रारम्भिक शेष 1.1.2014	11040327.25
(ii) सावधि जमा योजना व बचत खातों में वर्ष 2014 में प्राप्त कुल राशि	1036801.00
(iii) वर्ष 2014 में प्राप्त आय	4618597.00
कुल योग	16695725.25
वर्ष 2014 में व्यय की गई राशि	(-)3331771.00
दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि	13363954.25

दिनांक 31.12.2014 को बैंक में जमा राशि विवरण

(i)	सावधि जमा योजना में निवेशित कुल राशि	12864441.00
(ii)	बचत खाता सं0 000127 में यूको बैंक शाखा दियोटसिद्ध में जमा राशि	49951325
	कुल जमा राशि	₹13363954.25

(ग) प्रतिभूति निधि

वर्ष 2013

(i)	प्रारम्भिक शेष 1.1.2013	923420.00
(ii)	वर्ष 2013 में प्राप्त ब्याज	38977.00
(iii)	वर्ष 2013 में प्राप्त आय	301717.00
	कुल प्राप्त राशि	1264114
	वर्ष 2013 के दौरान व्यय की गई राशि	(-)190103.00
	दिनांक 31.12.2013 को अन्तशेष की राशि	1074011.00

वर्ष 2014

(i)	प्रारम्भिक शेष 1.1.2014	1074011.00
(ii)	वर्ष 2013 में प्राप्त ब्याज	46725.00
(iii)	वर्ष 2013 में प्राप्त आय	348895.00
	कुल प्राप्त राशि	1469631.00
	वर्ष 2014 के दौरान व्यय की गई राशि	(-)230679.00
	दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि	1238952.00
	दिनांक 31.12.2014 को बचत खाता संख्या 205 यूको बैंक शाखा दियोटसिद्ध में जमा राशि	1238952.00

(iv) सिद्ध आंचल संराय निधि

(i)	प्रारम्भिक शेष 1.1.2013	752391.00
(ii)	वर्ष 2013 में बचत खातों पर अर्जित ब्याज	32398.00
(iii)	वर्ष 2013 में प्राप्त आय	548039.00
	कुल प्राप्त राशि	1332828.00
	वर्ष 2013 में व्यय की गई राशि	211630.00
	दिनांक 31.12.2013 को अन्तशेष की राशि	1121198.00

वर्ष 2014

(i)	प्रारम्भिक शेष 1.1.2014	1121198.00
(ii)	वर्ष 2014 में बचत खातों पर अर्जित ब्याज	46784.00
(iii)	वर्ष 2014 में प्राप्त आय	489370.00
	कुल प्राप्त राशि	1657352.00
	वर्ष 2014 में व्यय की गई राशि	(-)146058.00
	दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष की राशि	1511294.00
	दिनांक 31.12.2014 को बचत खाता संख्या 20580110000205 यूको बैंक शाखा दियोटसिद्ध में जमा राशि	1511294.00

5 एफडीआर संख्या 33829 के अन्तर्गत निवेशित ₹610973 के नवीनीकरण बारे

न्यास द्वारा विभिन्न बैंकों में निवेशित की गई राशियों की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा ₹61097300 का निवेश दिनांक 29.8.2013 को भारतीय स्टेट बैंक चकमोह में एक वर्ष की अवधि के लिए एफडीआर संख्या 33829 के अन्तर्गत किया गया था। न्यास द्वारा उपरोक्त निवेशित राशि की परिपक्वता की तिथि पर ₹66627300 प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, परन्तु परिपक्वता की तिथि पर न्यास द्वारा निवेशित राशि का ब्याज हेतु नवीनीकरण किया गया अथवा केवल मात्र निवेशित राशि को ब्याज सहित निकलवाया गया, इसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह मामला अंकेक्षण अध्याचना संख्या 571, दिनांक 9.9.2015 द्वारा मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के ध्यानार्थ भी लाया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त निवेशित राशि की नवीनतम स्थिति से इस विभाग को अतिशीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 सोना एवं चांदी का विवरण

(क) मन्दिर न्यास द्वारा “परिषिष्ट—C” उपलब्ध करवाई गई सूचना पर के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 में सोने का विवरण निम्न प्रकार से है:—

अवधि	किलोग्राम	ग्राम	मिलिग्राम
1.1.2013 को प्रारम्भिक शेष	19	696	299
वर्ष 2013 में प्राप्त सोना	—	814	250
वर्ष 2014 में प्राप्त सोना	—	837	640
31.12.2013 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	21	348	189

दिनांक 31.12.2014 को बैंक एवं स्टॉक में अन्तशेष

क्र० सं०	विवरण	किलोग्राम	ग्राम	मिलिग्राम
1	पीएनबी मैहरे लॉकर में जमा	09	199	000
2	स्वर्ण बाण्ड योजना में जमा शुद्ध सोना	03	956	099
3	मन्दिर सेफ में जमा शुद्ध सोना	00	093	030
	मन्दिर सेफ में जमा अशुद्ध सोना	08	100	060
	दिनांक 31.12.2014 को कुल अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	21	348	189

(ख) चांदी का विवरण

मन्दिर अधिकारी द्वारा “परिषिष्ट—D” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 में चांदी का विवरण निम्न प्रकार से है:—

अवधि	किंवल	किलोग्राम	ग्राम	मिलिग्राम
1.1.2013 को प्रारम्भिक शेष	2	38	248	820
वर्ष 2013 में प्राप्त चांदी	—	15	214	56
वर्ष 2014 में प्राप्त चांदी	—	21	472	200
31.12.2014 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध चांदी)	2	74	935	76

दिनांक 31.12.2014 को बैंक एवं स्टॉक के अनुसार अन्तशेष का विवरण

क्र० सं०	विवरण	क्विंटल	किलोग्राम	ग्राम	मिलिग्राम
1	पीएनबी बैंक मैहरे के लॉकर में जमा शुद्ध (ईन्टे)	1	26	286	000
2	मन्दिर सेफ में जमा अशुद्ध चांदी	1	48	649	076
	दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	2	74	935	076

(ग) चांदी सामग्री

उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध में अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त चांदी की सामग्री का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	दिनांक	चालान नं०	रसीद नं०	सामग्री	भार/बजन	स्टॉक रजिस्टर पेज नं०
1	29.12.2014	2143	7458	चांदी की थाली चांदी की कौली चांदी की गड़वी	350 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम	201
2	29.12.2014	1779	7410	चांदी की ज्योति	737 ग्राम	5

(घ) बाबा जी सिंहासन में लगाई गई सामग्री का विवरण

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध में अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान बाबा जी की गुफा में सिंहासन में लगाई गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	दिनांक	चालान नं०	रसीद नं०	सामग्री विवरण	भार/बजन	स्टॉक रजिस्टर पेज नं०
1	8.3.2014	1351	790	सिंहासन पर लगा सोना सिंहासन पर लगी चांदी (जरंकन)	1 किलो 469 ग्राम 600 ग्राम 25 नग	244
2	31.3.2005	4860	6541	बाबा जी की गुफा के अन्दर तांबा प्लेट में स्थापित सोना तांबा प्लेट	655 ग्राम 24 कि०ग्रा०	224

(ङ) हीरा नग :-मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ में हीरा नग के अन्तशेष का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	दिनांक	विवरण	नग सं०	स्टॉक रजिस्टर पेज नं०
1	11.10.2013	हीरा नग	1	221

(च) कांच के मनके :- मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ में कांच के मनके के अन्तशेष का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	दिनांक	विवरण	नग सं०	स्टॉक रजिस्टर पेज नं०
1	25.12.2006	कांच के मनके	145 ग्राम	226

(छ) मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर थडे से प्राप्त सोने की सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में ईन्द्राज न करना
मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोसिद्ध के अंकेक्षण के दौरान सोने से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार दानस्वरूप थडे से प्राप्त सोने की सामग्री का सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में ईन्द्राज नहीं किया गया है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर मन्दिर न्यास द्वारा सम्बन्धित रजिस्टर पर ईन्द्राज कर किया गया, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास के आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र० सं०	दिनांक	चालान नं०	रसीद नं०	सामग्री विवरण	भार/बजन	स्टॉक रजिस्टर पेज नं०	व दिनांक
1	22.4.2014	7823	4204	सोने पर मोर	10 ग्राम 670 मिलीग्राम	10	30.9.2015

7 बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का क्रेडिट न दिए जाने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार दानस्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को यूको बैंक की दियोसिद्ध शाखा में विनिमय हेतु जमा करवाया गया, परन्तु बैंक में जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा का विनिमय करके सम्बन्धित बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया। अतः सम्बन्धित बैंक से यह मामला उठाकर तथा विदेशी मुद्रा का विनिमय करवाकर अपेक्षित राशि का क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	विदेशी मुद्रा का नाम	माह 6/2013 में करवाई गई मुद्रा	माह 12/2013 में जमा करवाई गई मुद्रा
1	England Pond	840	105
2	USA Doller	493	703
3	UERO	55	460
4	Canada Doller	720	170
5	Austrailan Doller	70	260
6	UAE Dirham	365	410
7	Sudi Arab Riyal	104	10
8	Qutar Riyal	62	127
9	New Zeland Doller	20	—
10	Singapore Doller	5	20

क्र० सं०	विदेशी मुद्रा का नाम	माह 1/2014 में जमा मुद्रा	माह 3/2014 में जमा मुद्रा	माह 6/2014 में जमा मुद्रा	माह 7/2014 में जमा मुद्रा	माह 9/2014 में जमा मुद्रा	माह 12/2014 में जमा मुद्रा
1	England Pond	640	7005	—	245	215	980
2	USA Doller	4324	13304	—	885	1249	6826
3	UERO	1980	1215	—	200	605	180
4	Canada Doller	1400	4005	—	955	220	2260
5	Austrailan Doller	1235	425	—	—	150	850
6	UAE Dirham	455	1465	—	210	420	285
7	Sudi Arab Riyal	—	197	—	122	11	470
8	Qutar Riyal	15	478	—	121	55	36
9	New Zeland Doller	—	40	—	20	—	—
10	Singapore Doller	5	2	—	—	—	2
11	Scotland Doller	—	—	—	1	—	—
12	Dinar	—	—	13	1	—	—

8 मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि की रसीदों में गलत गणना के कारण कम राशि जमा करवाने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की आय की रसीदों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि की रसीदों में गलत योग/गणना करने के कारण बैंक में कम राशि जमा करवाई है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर कम जमा करवाई गई राशि की वसूली चूककर्ताओं से करके मन्दिर निधि में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र० सं०	दिनांक	चालान नं०	रसीद नं०	राशि	गणना लिपिक द्वारा दर्ज/योग राशि	अन्तर की राशि
1	4.4.2013	6734	23226	150	50	100
2	7.4.2013	6736	23642	130	30	100
3	29.4. 2013	6749	25979	250	50	200

4	1.8.2013	—	27500	200	—	200
5	31.3.2014	9630	161 से 162	750	700	50
6	4.4.2014	9634	1049	250	200	50
7	6.4.2014	9636	1179	210	110	100
8	15.4.2014	9647	2095	100	60	40

कुल योग 840

नोट:- उपरोक्त अन्तर की ₹840 की वसूली रसीद नं० 7392, दिनांक 18.11.2015 द्वारा कर ली गई।

क्र० सं०	दिनांक	चालान नं०	रसीद विवरण	स्थान रसीद	गणना रजिस्टर में दर्ज राशि	वास्तव में प्राप्त राशि	अन्तर राशि	अन्तर वसूली विवरण राशि सहित	की राशि से सम्बन्धित रसीद नं० व
1	3.4.2013	7745	22855 से 22861	थड़ा	90921	90931	10	रसीद नं० 5743, दिनांक 3.11.2015	₹110,
2	13.4.2013	7775	24713 से 24730	थड़ा	66481	66581	100		
							110		
3	28.3.2013	7351	22401 से 22409	सराये नं० 8	1430	1530	100	रसीद नं० 7740, दिनांक 5.11.2015	₹240,
4	1.4.2013	7355	22457 से 22472	सराये नं० 8	2350	2390	40		
5	11.4.2013	7364	23474 से 23490	सराये नं० 8	3070	3170	100		
							240		
6	16.4.2013	7818	25301 से 25311	सराये नं० 7	260	290	30	रसीद नं० 7638, दिनांक 29.10.2015	₹30,
							30		
7	12.4.2013	6893	9542 से 9600	बकरा नीलामी	100950	100980	30	रसीद नं० 8702, दिनांक 20.11.2015	₹130,
8	13.4.2013	9588	6100 से 6186	बकरा नीलामी	127100	127200	100		
							130		

9 मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों/चालानों द्वारा दानस्वरूप प्राप्त सामग्री को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज न करने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार श्रद्धालुओं से रसीदों/चालानों के अन्तर्गत दानस्वरूप प्राप्त की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की

गई हैं, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर न्यास द्वारा इन मदों की निर्धारित दरों के मूल्य के अनुसार चूककर्ताओं से वसूली करके अपेक्षित राशि न्यास निधि में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास के आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि ऐसे इस प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र० सं०	रसीद नं०	चालान नं०	दिनांक	सामग्री का नाम	नग सं०	सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सं०	अन्तर मात्रा नग	अन्तर राशि/नग विवरण/स्टॉक रजि० पेज नं०	वसूली रजि०
1	3657	7738	30.3.2013	गिलास स्टील	11	—	11	रसीद नं० 5744, दिनांक 17.11.2015, ₹75,	
2	3781	7788	15.4.2013	कम्बल	50	5 नग	45	रसीद नं० 5745, दिनांक 17.11.2015, ₹4500	
3	—	9256	26.12.2013	कडछी स्टील	1	—	1	स्टॉक रजि० पेज नं० 228, दिनांक 18.11.2015 को प्रविष्टि ईन्द्राज कर ली गई है।	
4	4413	2552	16.4.2013	पंखा देशी	1	—	1	स्टॉक रजि० पेज नं० 160, दिनांक 30.9.2015 को प्रविष्टि ईन्द्राज कर ली गई है।	
5	4150	7906	28.4.2013	गिलास स्टील	24	—	24	रसीद नं० 5746, दिनांक 17.11.2015, ₹225	

10 मन्दिर न्यास द्वारा दान के रूप में प्राप्त लंगर की सामग्री के अभिलेख के रख-रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) मन्दिर न्यास द्वारा दानस्वरूप प्राप्त लंगर की सामग्री की रसीदों के चालान की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार श्रद्धालुओं से दानस्वरूप प्राप्त लंगर की सामग्री की रसीदों के चालान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना सं० उप-नियंत्रक (लेखा परीक्षा) 600 कैम्प, दिनांक 4.11.2015 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। उपरोक्त अधियाचना के उत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांक 3966/टववनम/ऑडिट/2015, दिनांक 21.11.2015 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह मामला पुलिस जांच में विचाराधीन है तथा इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवा दिया जाएगा।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद नं०	नाम सामग्री	मात्रा
1	29.3.2014	3663	चावल	150 किलोग्राम
			आटा	30 किलोग्राम
2	29.3.2014	3664	चावल	30 किलोग्राम
			आटा गेहूं	120 किलोग्राम
3	29.3.2014	3665	चावल	180 किलोग्राम
			आटा गेहूं	160 किलोग्राम
			माह साबुत	40 किलोग्राम
			चने दाल	40 किलोग्राम
4	29.3.2014	3666	आटा गेहूं	100 किलोग्राम
			दाल माह	5 किलोग्राम
			दाल चने	5 किलोग्राम
			नमक	7 किलोग्राम
			गर्म मसाला	700 ग्राम
5	30.3.2014	3667	चावल	100 किलोग्राम
			दाल चने	50 किलोग्राम
			तेल सरसों	15 लीटर
			नमक	8 किलोग्राम
			लाल मिर्च	1 किलोग्राम
			हल्दी	1 किलोग्राम
			गर्म मसाला	1 किलोग्राम
			चीनी	5 किलोग्राम
6	30.3.2014	3669	चावल	100 किलोग्राम
			दाल चने	25 किलोग्राम
7	31.3.2014	3671	आटा गेहूं	100 किलोग्राम
			चावल	100 किलोग्राम
			दाल मिक्स	10 किलोग्राम
			रिफाईण्ड तेल	10 लीटर
8	31.3.2014	3672	चावल	325 किलोग्राम
			बेसन	20 किलोग्राम
			नमक	20 किलोग्राम
			चीनी	20 किलोग्राम
			आलू	50 किलोग्राम
			दाल मिक्स	60 किलोग्राम

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार दानस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज किया गया है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः कम दर्ज की गई सामग्रियों की बाजारी मूल्य के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करके, अपेक्षित राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद नं०	चालान नं०	सामग्री का नाम	मात्रा कि०ग्रा०	लंगर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा	अन्तर मात्रा कि०ग्रा०
1	13.3.2013	3435	2541	सफेद चने	50 कि०ग्रा०	20 कि०ग्रा०	30 कि०ग्रा०
2	17.3.2013	3444	5690	माह साबुत बेसन	190 कि०ग्रा० 280 कि०ग्रा०	100 कि०ग्रा० 200 कि०ग्रा०	90 कि०ग्रा० 80 कि०ग्रा०
3	11.5.2013	4181	8024	आटा गेहूं	38 कि०ग्रा०	30 कि०ग्रा०	8 कि०ग्रा०
4	31.3.2014	3556	5022	चावल	20 कि०ग्रा०	—	20 कि०ग्रा०
5	8.4.2014	3585	5028	नमक	4 कि०ग्रा०	1 कि०ग्रा०	3 कि०ग्रा०
6	18.5.2014	5085	9392	दाल मिक्स	8 कि०ग्रा०	5 कि०ग्रा०	3 कि०ग्रा०
7	21.5.2014	5096	602	चाय पत्ती	250 ग्राम	—	250 ग्राम

11 मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई आय की ₹168600 को विलम्ब से जमा करवाने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई आय की राशि को विलम्ब से न्यास खाते में जमा करवाया गया, जबकि वित्तीय नियमानुसार वसूल की गई राशि को वसूली के अगले दिन सम्बन्धित खाते में जमा करवाना अनिवार्य होता है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा देरी से बैंक में राशि जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा राशि को विलम्ब से जमा करवाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्डात्मक ब्याज की वसूली करके अपेक्षित राशि मन्दिर खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	रसीद नं०	दिनांक	चालान नं०	चालान दिनांक	राशि	रोकड़वही/ बैंक में राशि दर्ज/जमा करवाने की तिथि	देरी से राशि बैंक में जमा विलम्ब दिन
Earnest Money	8974	18.2.2013	7504	23.2.2013	3000	15.3.2013	25 दिन
Earnest Money	8975	18.2.2013	7504	23.2.2013	3100	15.3.2013	25 दिन
Earnest Money	8976	18.2.2013	7504	23.2.2013	5000	15.3.2013	25 दिन
निविदा फार्म बिक्री राशि	8977	7.3.2013	7509	11.3.2013	600	15.3.2013	8 दिन
निविदा फार्म बिक्री राशि	8979	19.3.2013	7515	24.3.2013	6400	31.3.2013	12 दिन

Earnest Money	8980	19.6.2013	7527	22.6.2013	21000	11.7.2013	22 दिन
Earnest Money	8981	19.6.2013	7528	22.6.2013	23000	11.7.2013	22 दिन
Earnest Money	8982	21.6.2013	7529	22.6.2013	16000	11.7.2013	20 दिन
Earnest Money	8983	21.6.2013	7530	22.6.2013	24000	11.7.2013	20 दिन
निविदा फार्म बिक्री राशि	8984	22.7.2013	7545	10.10.2013	2400	30.10.2013	100 दिन
Earnest Money	8985	15.10.2013	7548	21.10.2013	1800	24.10.2013	9 दिन
Earnest Money	8986	15.10.2013	7548	21.10.2013	1900	24.10.2013	9 दिन
Earnest Money	8987	15.10.2013	7549	15.10.2013	2200	24.10.2013	9 दिन
Earnest Money	8988	15.10.2013	7549	15.10.2013	2100	24.10.2013	9 दिन
निविदा फार्म बिक्री राशि	8989	7.11.2013	7556	13.12.2013	7200	15.12.2013	38 दिन
Earnest Money	8990	13.12.2013	7559	1.1.2014	16000	13.1.2014	31 दिन
Earnest Money	8991	13.12.2013	7559	1.1.2014	15000	13.1.2014	31 दिन
Earnest Money	8992	20.12.2013	7560	1.1.2014	4100	13.1.2014	24 दिन
Earnest Money	8993	20.12.2013	7560	1.1.2014	3300	13.1.2014	24 दिन
निविदा फार्म बिक्री राशि	8995	30.1.2014	7568	5.2.2014	4000	7.2.2014	8 दिन
Earnest Money	8996	4.2.2014	7570	12.2.2014	1500	13.2.2014	9 दिन
Earnest Money	8997	4.2.2014	7570	12.2.2014	1800	13.2.2014	9 दिन
Earnest Money	8998	4.2.2014	7571	12.2.2014	1300	13.2.2014	9 दिन
Earnest Money	8999	4.2.2014	7571	12.2.2014	1900	13.2.2014	9 दिन

कुल राशि 168600

12 मन्दिर न्यास द्वारा लंगर को जारी विभिन्न सामग्रियों की मात्रा की उपेक्षा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में ज्यादा मात्रा घटाकर अधिक खपत दर्शाने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान सदाव्रत लंगर के खपत रजिस्टर व सम्बन्धित लंगर के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार लंगर को जारी विभिन्न सामग्रियों की मात्रा की उपेक्षा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में ज्यादा मात्रा में घटाकर अधिक खपत दर्शाई गई है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः इन सामग्रियों की मात्रा की अधिक खपत दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक दर्शाई गई खपत की मात्रा की बाजारी भाव मूल्य के अनुसार सम्बन्धित चूककर्ता से वसूली करके अपेक्षित राशि न्यास निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

दिनांक	लंगर को जारी सामग्री का नाम	जारी मात्रा किलोग्राम जो खपतानुसार घटाई जानी अपेक्षित थी (कि०ग्रा०)	पिछली दिनांक की बकाया मात्रा (कि०ग्रा०)	लंगर स्टॉक रजिस्टर में घटाई गई मात्रा (कि०ग्रा०)	लंगर स्टॉक रजिस्टर में जो मात्रा घटाई जानी थी (कि०ग्रा०)	अन्तर मात्रा (कि० ग्रा०)
7.1.13	चावल	—	20	20	—	20
8.1.13	चावल	60	—	80	60	20
11.2.13	चावल	—	20	20	—	20
12.2.13	चावल	80	—	100	80	20
12.2.13	चावल	—	15	15	—	15
13.2.13	चावल	50	—	80	50	30
19.2.13	चीनी	—	25	25	—	25
19.2.13	माह	—	20	20	—	20
19.2.13	साबुत दूध	—	10	10	—	10
19.2.13	बेसन	—	10	10	—	10
19.2.13	ईमली	—	10	10	—	10
19.2.13	आलू	—	30	30	—	30
19.2.13	सूजी	—	20	20	—	20

क्र० सं०	दिनांक	लंगर को जारी सामग्री का नाम	जारी मात्रा कि०ग्रा० जो खपतानुसार घटाई जानी अपेक्षित थी (कि०ग्रा०)	पिछली दिनांक की बकाया मात्रा (कि०ग्रा०)	लंगर स्टॉक रजिस्टर से घटाई मात्रा (कि०ग्रा०)	लंगर स्टॉक रजिस्टर से मात्रा घटाई जानी थी (कि०ग्रा०)	लंगर रजिस्टर में जो दैनिक खपत दर्शाई गई (कि०ग्रा०)	अन्तर मात्रा (कि०ग्रा०)
1	24.2.13	माह की दाल	10	—	10	—	—	—
	25.2.13	मलका दाल	—	—	—	—	5	5
2	26.2.13	बेसन	10	—	10	—	7	3
	19.4.13	आटा	—	30	30	—	—	30
3	10.5.13	चावल	150	—	150	—	140	10
4	13.5.13	चावल	—	15	15	—	—	15
5	14.5.13	चावल	150	—	165	150	—	15
	12.10.13	तेल रिफाईंड	15	—	15	—	11	4
क्र० सं०	दिनांक	लंगर को जारी सामग्री का नाम	जारी मात्रा कि०ग्रा० जो खपतानुसार घटाई जानी अपेक्षित थी (कि० ग्रा०)	पिछली दिनांक की बकाया मात्रा कि०ग्रा०	लंगर स्टॉक रजिस्टर से जो मात्रा घटाई गई (कि० ग्रा०)	लंगर स्टॉक रजिस्टर जो मात्रा घटाई जानी थी (कि० ग्रा०)	लंगर रजिस्टर में जो दैनिक खपत दर्शाई गई (कि०ग्रा०)	अन्तर मात्रा कि० ग्रा०
1	14.3.14	चावल	—	20	20	—	—	20
	15.3.14	चावल	200	—	230	200	—	30
2	24.3.14	घी रिफाईंड	—	5	5	—	—	5
	25.3.14	घी रिफाईंड	8	—	13	8	—	5
3	1.4.14	चावल	250	—	250	—	220	30
4	6.6.14	रिफाईंड (लीटर)	—	3	3	—	—	3
5	25.7.14	चावल	—	10	10	—	—	10
	26.7.14	चावल	250	—	260	250	—	10
6	27.7.14	चावल	—	10	10	—	—	10
7	18.8.14	चावल	—	90	90	—	—	90
8	29.8.14	रिफाईंड (लीटर)	—	8	8	—	—	8
9	30.8.14	देसी घी	—	2.5	2.5	—	—	2.5
	31.8.14	देसी घी	2	—	4.5	2	—	2.5

10	16.9.14	घी रिफाईंड (लीटर)	—	7	7	—	—	7
11	17.10.14	माह साबुत दाल चने	—	5	5	—	—	5
12	10.12.14	चावल	—	25	25	—	—	25
13	4.12.14	चावल	—	15	15	—	—	15

13 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध द्वारा संचालित महाविद्यालय की फीस की वसूली इत्यादि से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) महाविद्यालय द्वारा छात्रों से विलम्ब शुल्क (Late fees) की वसूली न करने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ द्वारा संचालित महाविद्यालय चकमोह के छात्रों के शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 में निम्नविवरणानुसार छात्रों से विलम्ब शुल्क की ₹8690 की वसूली नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 में जारी प्रवेश प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों व महाविद्यालय के प्रविवरण में दी गई प्रवेश सारणी के अनुसार छात्र दिनांक 20.6.2014 तक बिना विलम्ब शुल्क से महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते थे तथा दिनांक 21.6.2014 से ₹10 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश लेने का प्रावधान था, परन्तु महाविद्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से ₹10 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की उचित स्रोत से वसूली करके इसे महाविद्यालय की निधि में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव भी दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद नं०	कुल रसीदें सं०	विलम्ब शुल्क विवरण	राशि
1	23.6.2014	639 से 651	13	30x13	390
2	23.6.2014	661 से 673	13	30x13	390
3	23.6.2014	677 से 678	2	30x2	60
4	23.6.2014	685	1	30x1	30
5	23.6.2014	688	1	30x1	30
6	23.6.2014	691 से 692	2	30x2	60
7	23.6.2014	812 से 813	2	30x2	60
8	23.6.2014	822 से 824	3	30x3	90
9	23.6.2014	826 से 829	4	30x4	120
10	23.6.2014	831 से 838	8	30x8	240
11	23.6.2014	843 से 849	7	30x7	210
12	23.6.2014	852 से 856	5	30x5	150

13	23.6.2014	858	1	30x1	30
14	23.6.2014	861	1	30x1	30
15	23.6.2014	866 से 873	8	30x8	240
16	23.6.2014	890	1	30x1	30
17	23.6.2014	896	1	30x1	30
18	23.6.2014	900	1	30x1	30
19	23.6.2014	903 से 907	5	30x5	150
20	24.6.2014	947 से 948	2	2x40	80
21	24.6.2014	951 से 952	2	2x40	80
22	24.6.2014	972 से 973	2	2x40	80
23	24.6.2014	976 से 982	7	7x40	280
24	24.6.2014	984 से 986	3	3x40	120
25	24.6.2014	2005	1	1x40	40
26	25.6.2014	2021	1	1x40	50
27	25.6.2014	2026	1	1x40	50
28	25.6.2014	2028	1	1x40	50
29	26.6.2014	2030	1	1x40	60
30	26.6.2014	2039	1	1x40	60
31	26.6.2014	2041 से 2046	6	6x60	360
32	26.6.2014	2049 से 2057	9	6x60	540
33	26.6.2014	2062 से 2066	5	5x60	300
34	27.6.2014	2077	1	1x70	70
35	27.6.2014	2083	1	1x70	70
36	27.6.2014	2086 से 2096	11	11x70	770
37	28.6.2014	2125 से 2126	2	2x80	160
38	28.6.2014	2141 से 2142	2	2x80	160
39	28.6.2014	2144	1	1x80	80
40	28.6.2014	2149 से 2150	2	2x80	160
41	30.6.2014	2176	1	1x80	100
42	30.6.2014	2181	1	1x80	100
43	30.6.2014	2183	1	1x80	100
44	30.6.2014	2187	1	1x80	100
45	30.6.2014	2190	1	1x80	100
46	30.6.2014	2214	1	1x80	100
47	30.6.2014	2236	1	1x80	100
48	30.6.2014	2244	1	1x80	100
49	30.6.2014	2252	1	1x80	100
50	30.6.2014	2273	1	1x80	100
51	30.6.2014	2276	1	1x80	100
52	30.6.2014	2281	1	1x80	100

53	30.6.2014	2283	1	1x80	100
54	30.6.2014	2285	1	1x80	100
55	30.6.2014	2304	1	1x80	100
56	30.6.2014	2313	1	1x80	100
57	30.6.2014	2321	1	1x80	100
58	3.7.2014	2346	1	1x80	130
59	11.7.2014	2363	1	1x80	210
60	12.7.2014	2366 से 2368	3	3x220	660
कुल विलम्ब शुल्क की राशि					8690

(ख) महाविद्यालय द्वारा ट्यूशन फीस की राशि को पुस्तकालय निधि में जमा करवाने बारे

महाविद्यालय चकमोह के निधि लेखों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से निम्न विवरणानुसार रसीदों के माध्यम से वसूली गई शुल्क की राशियों में शिक्षण शुल्क मद के अन्तर्गत प्राप्त राशि को गलती से पुस्तकालय निधि में जमा करवाया गया है। अतः शिक्षण शुल्क की राशि को पुस्तकालय निधि में गलत जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि को अब सम्बन्धित खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद विवरण	ट्यूशन फीस राशि
1	12.6.2013 से 18.6.2013	4242 से 4351 तक	7350
2	19.6.2013	4352 से 0047	7350
3	19.6.2013	0048 से 144	10500
4	20.6.2013	145 से 165	2100
कुल शिक्षण शुल्क की राशि			27300

14 मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय में निधि लेखों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) संस्कृत महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि लेखों से प्राप्त आय की राशि में से बैंक में कम राशि जमा करने बारे

श्री बाबा बालक नाथ संस्कृत महाविद्यालय चकमोह के छात्र निधि लेखों से सम्बन्धित रसीदों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 में छात्रों से निम्नविवरणानुसार वसूली की गई विभिन्न निधियों के शुल्कों की राशि में से ₹435 सम्बन्धित बैंक खाते में कम जमा करवाई है। अंकेक्षण द्वारा मामला महाविद्यालय प्रशासन के साथ उठाने पर इस ₹435 की वसूली सम्बन्धित चूककर्ता से करके महाविद्यालय के खाता संख्या 11504654199, दिनांक 20.11.2015 में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। अतः भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि संस्था की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद नं०	कुल प्राप्त राशि	बैंक में जमा राशि	अन्तर की राशि
1	16.6.2014 से 19.6.2014	182 से 202	36808	35885	(-)923
2	20.6.2014 से 30.6.2014	203 से 227	42615	43103	(+)488
				योग	435

(ख) प्रविवरणों (प्रोस्पेक्टसों) की बिक्री से प्राप्त राशि को जमा करने बारे

संस्कृत महाविद्यालय चकमोह के अवधि 1/2013 से 12/2014 के प्रविवरणों से सम्बन्धित खरीद व बिक्री से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 के दौरान निम्नविवरणानुसार प्रविवरण की बिक्री से सम्बन्धित ₹6000 को रोकड़ वही व बैंक में जमा नहीं करवाया गया।

वर्ष	जितने प्रविवरण छपवाए गए (संख्या)	जितने प्रविवरण बेचे गए (संख्या)	प्रविवरण बिक्री से प्राप्त राशि	बैंक में जमा राशि	अन्तर राशि	बिक्री के पश्चात कुल बचे प्रविवरण संख्या
2014	100	60	60x100 =6000	—	6000	40

अंकेक्षण द्वारा यह मामला महाविद्यालय के ध्यानार्थ लाया गया तो उक्त ₹6000 की वसूली चूककर्ता से करके इसे महाविद्यालय खाता संख्या 11504654199, दिनांक 24.11.2015 को जमा करवा दिया गया, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में संस्था की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस तरह की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(ग) संस्कृत महाविद्यालय द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क को राशि को विलम्ब से बैंक में जमा करने बारे

श्री बाबा बालक नाथ संस्कृत महाविद्यालय चकमोह के छात्र निधि लेखों से सम्बन्धित रसीदों तथा अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से शुल्कों के रूप में प्राप्त राशि को विलम्ब से बैंक में जमा करवाया है, जबकि वित्तीय नियमानुसार वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन ही सम्बन्धित खाते में जमा करवाना अनिवार्य होता है। महाविद्यालय द्वारा देरी से राशि जमा का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद नं०	कुल प्राप्त राशि	बैंक में जमा राशि व दिनांक (खाता संख्या सहित)	देरी/विलम्ब से राशि जमा दिन
1	1.7.2014 से 12.7.2014	228 से 240	23310	15.6.2015 खाता संख्या 166 = 3420 खाता संख्या 199 = 19890	338 दिन
			कुल राशि	23310	

अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई शुल्क राशि को बैंक में विलम्ब से जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि को विलम्ब से जमा करवाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी/चूककर्ता से दण्डात्मक ब्याज की वसूली करके अपेक्षित राशि महाविद्यालय खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 समाचार पत्रों, मैगजीन, स्मारिका सोविनियर में दिए गए विज्ञापनों पर ₹99400 का अनियमित व्यय करने बारे

मन्दिर न्यास द्वारा समाचार पत्रों, मैगजीन, स्मारिकाओं तथा सोविनियरों में दिए गए विज्ञापनों पर निम्न विवरणानुसार ₹99400 का व्यय किया गया, जबकि प्रधान सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग (हिमाचल प्रदेश) के पत्र संख्या LCD-E(3)-18/2010, दिनांक 10.12.2010 के अनुसार विज्ञापनों पर व्यय करने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के भी विपरीत है, क्योंकि उक्त धारा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा दी गई दान की राशि को श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ही व्यय करना अपेक्षित होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में विज्ञापन पर व्यय करने पर अंकुश लगाकर मन्दिर न्यास के फण्डों का प्रयोग मन्दिर के विकासात्मक कार्यों पर करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	दिनांक	रोकड़ वही पेज नं०	मुद्रक संस्था का नाम	विवरण	राशि
1	4.1.2013	43	अध्यक्ष एवं उपायुक्त मिंजर मेला कमेटी चम्बा	स्मारिका	10000
2	4.1.2013	43	पीआरएसआई शिमला	स्मारिका (सोविनियर)	20000
3	23.1.2013	49	अध्यक्ष एवं उपमण्डलाधिकारी नलवाड़ मेला सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि०प्र०)	स्मारिका	10000
4	9.3.2013	64	अध्यक्ष एवं उपायुक्त जनजातीय मेला समिति केलांग जिला लाहौल स्पीति	स्मारिका	10000
5	11.3.2013	64	प्रधान हिमाचल प्रदेश कराटे फडेरेशन हमीरपुर (हि०प्र०)	स्मारिका	25000
6	30.4.2013	87	राह दस्तक पत्रिका बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)	सोविनियर	9400
7	3.5.2013	90	सह उपायुक्त बिलासपुर जिला बिलासपुर (हि०प्र०)	स्मारिका	15000
कुल योग					99400

16 निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किए बिना ही सहायक प्रवक्ताओं को स्टेज 2 पर उच्च वेतनमान (Sr. Scale) व नान कम्पाऊडिंग वार्षिक वेतन वृद्धियों का गलत तरीके से वेतन निर्धारण करके अधिक भुगतान करने बारे

सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0ए0ख0(15) –13/2010, दिनांक 17.3.2012 में विनिर्दिष्ट आदेशों के अनुरूप माह जुलाई 2010 के पश्चात कॉलेज में सहायक प्रवक्ताओं की पी0बी0ए0एस0 (PBAS) मैथोडोलॉजी (Methodology) के अन्तर्गत ए0पी0आई0 (API) स्कोरिंग सिस्टम व स्करीनींग कमेटी की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात स्टेज 2 पर 15600–39100+6000 AGP से 15600–39100+7000 AGP में लाभ देय अपेक्षित हैं। मन्दिर न्यास द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किए बिना ही सहायक प्रवक्ताओं को निम्न प्रकार से वेतन वृद्धियों देकर उनके वेतन का गलत तरीके से निर्धारित किया गया है।

(क) श्री राजीव संख्यान सहायक प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा को अध्यक्ष मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के कार्यालय आदेश संख्या 248–251/टीए/एसडीवी/2013, दिनांक 23.3.2013 द्वारा अवधि 1.8.2008 से यू0जी0सी0 वेतनमान 15600–39100+6000 AGP पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस पर वार्षिक वेतनवृद्धि व दो नॉन कम्पाउडिंग वार्षिक वेतन वृद्धियों का अवधि 1.8.2008 से नोशनल आधार पर लाभ दिया गया तथा अवधि 1.4.2012 से वित्तीय लाभ प्रदान किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा उनका वेतन नोशनल आधार पर गलत तरीके से निर्धारित करके उनको अधिक भुगतान भी किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

अवधि नोशनल आधार पर निर्धारित वेतन नोशनल आधार पर जो वेतन निर्धारित होना चाहिए था

1.8.2008	15600+6000=21600	15600+6000=21600
1.8.2008	15600+650+6000=22250	15600+650+6000=22250
1.8.2008	16250+670+6000=22920	16250+650+6000=22900
1.8.2009	16920+690+6000=23610	16900+690+6000=23590
1.8.2010	17610+710+6000=24320	17590+710+6000=24300
1.8.2011	18320+730+600=25050	18300+730+600=25030

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा अपने कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1318–1319/TA/ SDB, दिनांक 15.9.2014 द्वारा उपरोक्त शिक्षक को API स्कोरिंग व स्करीनींग स्कोरिंग कमेटी की शर्तों को पूर्ण किए बिना ही अवधि 1.8.2013 से 15600–39100+6000 से स्टेज 2 पर पदोन्नति प्रदान करके 15600–39100+7000 AGP पर उनका वेतनमान निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया, परन्तु उनकी पदोन्नति से सम्बन्धित पात्रता के पूर्ण

अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अभिलेख के अभाव में तथा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किए बिना उनको उच्च वेतनमान देय नहीं था। तत्पश्चात उक्त गलत तरीके से प्रदान किए गए उच्च वेतन को उपायुक्त मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या 1078/टीए/शिक्षा 2015, दिनांक 15.8.2015 द्वारा निरस्त किया गया है तथा दिनांक 1.8.2015 से उनके वेतनमान को 15600-39100+7000 (एजीपी) से घटाकर पुनः 15600-39100+6000 एजीपी निर्धारित किया गया, परन्तु अवधि 1.8.2013 से 31.7.2015 तक भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली नहीं की गई है।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन
1.4.2012	18300+730+6000=25030	18320+730+6000=25050
1.8.2012	19030+750+6000=25780	19050+760+6000=25810
1.8.2013	19780+780+6000=26560	19810+780+7000=27590
1.8.2014	20560+800+6000=27360	20590+830+7000=28420
1.8.2015	21360+820+6000=28180	21390+830+6000=28220

उपरोक्त देय वेतन व आहरित वेतन के अनुरूप श्री राजीव संख्यान सहायक प्रवक्ता को निम्नानुसार अधिक वेतन की राशि का भुगतान किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर जांच करके अधिक भुगतान की वसूली करके इसे मन्दिर न्यास की निधियों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन	अन्तर	अधिक भुगतान की राशि
1.4.2012 से 30.6.2012	19030+6000+16270=41300	19050+6000+16283=41333	33	99
1.7.2012	19030+6000+18022=43052	19050+6000+18036=43086	34	34
1.8.2012 से 31.12.2012	19780+6000+18562=44342	19810+6000+18583=44393	51	255
1.1.2013 से 30.6.2013	19780+6000+20624=46404	19810+6000+20648=46458	54	324
1.7.2013	19780+6000+23202=48982	19810+6000+23229=49039	57	57
1.8.2013 से 31.12.2013	20560+6000+23904=50464	20590+7000+24831=52421	1957	9785
1.1.2014 से 30.6.2014	20560+6000+26560=53120	20590+7000+27590=55180	2060	12360
1.7.2014	20560+6000+28419=54979	20590+7000+29321=57111	2132	2132
1.8.2014 से 31.12.2014	21360+6000+29275=56635	21420+7000+30409=58829	2194	10970
1.1.2015 से	21360+6000+30917=58277	21420+7000+32115=60535	2258	15806

31.7.2015

1.8.2015 22180+6000+31843=60023 22220+6000+31889=60109 86 86

कुल अधिक भुगतान 51908

(ख) श्रीमति पवना देवी सहायक प्रवक्ता लोक प्रशासन (Public Administration) विषय को अध्यक्ष मन्दिर न्यास बाबा दियोटसिद्ध के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1020-211 टीए-1/एसडीवी/2013, दिनांक 20.9.2013 द्वारा अवधि 1.8.2007 से यूजीसी वेतनमान 15600-39100+6000 AGP व दो नॉन कम्पाउंडिंग (Non-Compounding) वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ नोशनल आधार पर प्रदान करके अवधि 1.4.2012 से वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उनका वेतन नोशनल आधार पर गलत तरीके से निर्धारित करके उनको अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

अवधि नोशनल आधार पर निर्धारित वेतन नोशनल आधार पर जो वेतन निर्धारित होना चाहिए था

1.8.2007	15600+6000=21600	15600+6000=21600
1.8.2007	15600+650+6000=22250	15600+650+6000=22250
1.8.2007	16250+670+6000=22920	16250+650+6000=22900
1.8.2008	16920+690+6000=23610	16900+690+6000=23590
1.8.2009	17610+710+6000=24320	17590+710+6000=24300
1.8.2010	18320+730+600=25050	18300+730+6000=25030
1.8.2011	19050+760+600=25810	19030+750+6000=25780

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा अपने कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1318-19/टीए/एसडीवी, दिनांक 15.9.2014 द्वारा उपरोक्त सहायक प्रवक्ता को एपीआई (API) स्कोरिंग व स्कोरिंग कमेटी की शर्तों को पूर्ण किए बिना ही अवधि 1.8.2012 से 15600-39100+6000 से स्टेज 2 पर पदोन्नति प्रदान करके 15600-39100+7000 (AGP) प्रदान की गई, परन्तु उनकी पदोन्नति से सम्बन्धित पात्रता के पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अभिलेख के अभाव में तथा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किए बिना उनको उच्च वेतनमान देय नहीं था। तत्पश्चात उक्त तरीके से प्रदान किए गए उच्च वेतन को आयुक्त मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या 1078/टीए-11 शिक्षा 2015, दिनांक 15.8.2015 द्वारा निरस्त किया गया है तथा दिनांक 1.8.2015 से उनके उच्च वेतनमान को 15600-39100+7000 AGP से घटाकर उनका वेतनमान पुनः 15600-39100+6000 AGP पर निर्धारित किया गया है, परन्तु अवधि 1.8.2012 से 31.7.2015 तक भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली नहीं की गई है।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन
1.4.2012	19030+750+6000=25780	19050+760+6000=25810
1.8.2012	19780+780+6000=26560	19810+780+7000=27590
1.8.2013	20560+800+6000=27360	20590+830+7000=28420
1.8.2014	21360+820+6000=28180	21420+860+7000=29280
1.8.2015	22180+850+6000=29030	22180+850+6000=29030

उपरोक्त देय वेतन व आहरित वेतन के फलस्वरूप श्रीमति पवना देवी सहायक प्रवक्ता लोक प्रशासन विषय को निम्नानुसार अधिक ₹74912 का भुगतान किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर जांच करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन	अन्तर	अधिक भुगतान की राशि
1.4.2012 से 30.6.2012	19780+6000+16757=42537	19810+6000+16777=42587	50	150
1.7.2012	19780+6000+18562=44342	19810+6000+18583=44393	51	51
1.8.2012 से 31.12.2012	20560+6000+19123=45683	20590+6000+19865=47455	1772	8860
1.1.2013 से 13.6.2013	20560+6000+21248=47808	20590+7000+22072=49662	1854	11124
1.7.2013	20560+6000+23904=50464	20590+7000+25578=53998	1957	1957
1.8.2013 से 31.12.2013	21360+6000+24624=51984	21420+7000+28420=56840	2014	10070
1.1.2014 से 30.6.2014	21360+6000+27360=54720	21420+7000+28420=56840	2120	12720
1.7.2014	21360+6000+29275=56635	21420+7000+30409=58829	2194	2194
1.8.2014 से 31.12.2014	22180+6000+30153=58333	22280+7000+31330=60610	2277	11385
1.1.2015 से 31.7.2015	22180+6000+31843=60023	22280+7000+33086=62366	2343	16401

कुल अधिक भुगतान 74912

- 17 श्रीमति सुमनबाला सहायक प्रवक्ता कामर्स को सीनियर स्केल (Senior Scale) देने, गलत वेतन वृद्धि देने व निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किए बिना ही सलैक्शन स्केल प्रदान करने पर ₹96182 का अधिक भुगतान करना

श्रीमति सुमनबाला सहायक प्रवक्ता वाणिज्य की सेवा पंजिका की जांच करने पर यह पाया गया कि उनको मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह द्वारा एसडीओ (सी) बड़सर

एवम अध्यक्ष न्यास के आदेश संख्या 874-875/टीए/एसडीबी, दिनांक 24.8.2011 के अन्तर्गत उच्च वेतन (सीनियर स्केल) प्रदान करने के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारित किया गया तथा उनको अवधि 1.12.2011 को एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि गलत तरीके से दी गई।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन
1.8.2007	18880+7000=25880	18600+7000=25600
1.12.2008	18880+780+7000=26660	18600+770+7000=26370
1.12.2009	19960+800+7000=27460	19370+800+7000=27170
1.12.2010	20460+830+7000=47808	20170+820+7000=27990
1.12.2011	21290+850+7000=29140	21830+870+7000=29700
1.12.2012 से 17.12.2012	22140+880+7000=30020	22700+900+7000=30600
18.12.2012 से 31.12.2012	22140+880+7000=30020	22700+900+8000=31600
1.12.2013	23020+900+7000=30920	23600+950+8000=32550
1.12.2014	23920+930+7000=31850	24500+980+8000=33530
1.8.2018	23920+930+7000=31850	25470+7000=32470

इसके अतिरिक्त सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0-ए-खा(15) 13/2010, दिनांक 17.3.2012 द्वारा अधिसूचित रेग्यूलेशन 7.3.2 से 7.3.5 के विनिर्दिष्टित उनको पी0वी0ए0एस0/PBAS मैथोडोलॉजी (Methodology) के अनुरूप AP स्कोरिंग सिस्टम की शर्तों को पूर्ण किए बिना ही अध्यक्ष मन्दिर न्यास की कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1318-1319/टीए/एसडीबी, दिनांक 15.9.2014 के अन्तर्गत अवधि 18.12.2012 से 15600-39100+8000 AGP का सलैक्शन स्केल प्रदान किया गया, परन्तु उनके सलैक्शन स्केल से सम्बन्धित पात्रता के पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अभिलेख के अभाव में तथा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किए बिना उनको उच्च वेतनमान देय नहीं था। तत्पश्चात उक्त गलत प्रदान किए गए सलैक्शन स्केल के आदेशों को उपायुक्त एवम आयुक्त मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 1078/टीए-1 शिक्षा-2015, दिनांक 15.8.2015 द्वारा निरस्त किया गया है तथा दिनांक 1.8.2015 से उनके वेतन का पुनः निर्धारण करके अधिक प्रदान की गई ₹8000 की AGP को घटाकर ₹7000 किया गया है। इस प्रकार न्यास द्वारा 18.12.2007 से उनको सीनियर स्केल प्रदान करके तथा 18.12.2012 से गलत रूप से सलैक्शन स्केल प्रदान करके उनका वेतन गलत तरीके से निर्धारित करके उनको कुल ₹96182 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान का संस्था स्तर पुनः अवलोकन करते हुए इसकी वसूली की जाए अधिक भुगतान की गई राशि का विवरण “परिशिष्ट-एफ” पर दिया गया है।

- 18 श्री रविकान्त पण्डित सहायक प्रवक्ता जीव विज्ञान को निर्धारित मापदण्डों की पूर्ण किए बिना ही अवधि 1.7.2012 से स्टेज 3 से एसोसियेट-प्रोफेसर स्टेज 4 में पदोन्नति का लाभ देने पर ₹854300 के अधिक भुगतान करने बारे

सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यालय अधिसूचना संख्या ईडीएन-ए-खा(15) 13/2010, दिनांक 17.3.2012 द्वारा अधिसूचित रेग्यूलेशन 7.3.2, 7.3.4 व 7.3.5 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सहायक प्रवक्ता स्टेज 3 को एसोसियेट प्रोफेसर स्टेज 4 के पद पर पदोन्नत करने से पहले पीबीएस मैथोडोलॉजी के अनुरूप एपीआई स्कोरिंग व स्करीनींग कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण करना अनिवार्य था अन्यथा उनको उक्त पदोन्नति का लाभ देय नहीं था। श्री रविकान्त सहायक प्रवक्ता को अध्यक्ष, मन्दिर न्यास श्री बाबा दियोटसिद्ध के कार्यालय आदेश संख्या 1318-1319/टीए/एसडीवी, दिनांक 15.9.2014 द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूर्ण किए बिना ही अवधि 1.7.2012 से 26860+8000(AGP) से 37400+9000(AGP) पर पदोन्नति प्रदान की गई, परन्तु उनकी पदोन्नति से सम्बन्धित पात्रता के पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अभिलेख के अभाव में तथा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किए बिना उनको उच्च वेतनमान देय नहीं था। उपरोक्त अनियमित रूप से प्रदान किए गए स्टेज 4 के पदोन्नति के आदेशों को आयुक्त मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 1078/टीए-1/एजुकेशन/2015, दिनांक 25.8.2015 द्वारा रद्द करके उक्त अनियमित रूप से प्रदान किए गए 37400+9000(AGP) को घटाकर उनके वेतनमान का 30100+8000 AGP पर दिनांक 1.8.2015 से पुनः निर्धारण किया गया है।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन
1.7.2012	26860+8000=34860	37400+9000=46400
1.7.2013	27910+8000=35910	38800+9000=47800
1.7.2014	28990+8000=36990	40240+9000=49240
1.7.2015	30100+8000=38100	40240+9000=49240

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार सहायक प्रवक्ता को 1.7.2012 से 31.7.2015 तक ₹854300 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर पुनः जांच करके अधिक भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

अवधि	देय वेतन बेन्ड पे+ ग्रेड पे+डीए	आहरित वेतन	अन्तर	अधिक भुगतान
1.7.2012 से 31.12.2012	26860+8000+25099=59959	37400+9000+33408=79808	19849	119094
1.1.2013 से 30.6.2013	26860+8000+27888=62748	37400+9000+37120=83520	20772	124632
1.7.2013 से 31.12.2013	27910+8000+32319=68229	38800+9000+43020=90820	22591	135546

1.1.2014 से 30.6.2014	22910+8000+35910=71820	38800+9000+47800=95600	23780	142600
1.7.2014 से 30.6.2014	28990+8000+39579=76569	40240+9000+52687=101927	25358	152148
1.1.2015 से 30.6.2015	28990+8000+41799=78789	40240+9000+55641=104881	26092	156552
1.7.2015	30100+8000+43053=81153	40240+9000+55641=104881	23728	23428

योग 854300

19 श्रीमति परमजीत कौर सहायक प्रवक्ता को गलत तरीके से दो नॉन कम्पाउडिंग वार्षिक वेतन वृद्धियां देने पर ₹475 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि श्रीमति परमजीत कौर सहायक प्रवक्ता कामर्स को गलत तरीके से दो नॉन कम्पाउडिंग वार्षिक वेतन वृद्धियां अवधि 25.9.2014 से देने पर पर निम्नानुसार ₹475 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

अवधि	देय निर्धारित वेतन	गलत निर्धारित वेतन
25.9.2014	15600+6000	—
25.9.2014	15600+650+6000=22250	15600+650+6000=22250
25.9.2014	16250+650+6000=22900	16250+670+6000=22920

उपरोक्त निर्धारण अनुसार अधिक भुगतान की राशि

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन	अधिक भुगतान
25.9.2014 से 31.12.2014	16900+6000+24503=47403	16920+6000+24524=47444	131
1.1.2015 से 31.8.2015	16900+6000+25877=48777	16920+6000+25900=48820	43x8=344

कुल अधिक भुगतान ₹475

20 कन्ट्रेक्च्यूल आधार पर नियुक्त किए गए सहायक प्रवक्ताओं को नोशनल आधार पर प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धियों का गलत तरीके से वित्तीय लाभ देने पर अधिक राशि का भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि डा0 विशाल शर्मा सहायक प्रवक्ता जीव विज्ञान तथा डा0 शशिबाला सहायक प्रवक्ता वनस्पति-विज्ञान की दिनांक 1.12.2009 से कन्ट्रेक्च्यूल आधार पर नियुक्ति गई थी। उक्त प्रवक्ताओं को उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास बाबा दियोटसिद्ध के कार्यालय पत्र संख्या 601/टीए/हमीरपुर, दिनांक 30.7.2014 द्वारा अवधि 1.12.2009 से यूजीसी वेतनमान 15600+6000 पर नोशनल आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर दिनांक 1.7.2014

से वित्तीय लाभ प्रदान करने पर उनको निम्नानुसार गलत वेतन निर्धारित करने पर अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

अवधि नोशनल आधार पर जो वेतन निर्धारित होना चाहिए था वेतन निर्धारित जो गलत किया गया है

1.12.2009	15600+6000=21600	15600+6000=21600
1.12.2010	15600+648+6000=22248	16250+6000=22250
1.12.2011	16248+648+6000=22896	16920+6000=22920
1.12.2012	16896+648+6000=23544	17610+6000=23610
1.12.2013	17544+648+6000=24192	18320+6000=24320

वित्तीय लाभ प्रदान करने की तिथि

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन	अधिक भुगतान
1.7.2014 से 30.11.2014	17544+648+6000=24192	18320+6000=24320	128x5=640
1.12.2014 से 31.10.2015	18192+648+6000=24840	19050+6000=25050	210x11=2310
		कुल राशि	2950

अवधि 31.10.2015 तक अधिक भुगतान की राशि

1	डा० विशाल शर्मा	2950
2	डा० शशिबाला	2950

कुल राशि ₹5900

21 विश्वविद्यालय अध्यादेश में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार गैर सरकारी महाविद्यालयों में चयनित सहायक प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेख न दर्शाने बारे

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अध्यादेश अम्पेडिक्स “ए” के अध्याय 38 के पैराग्राफ 38.5 बी(डी) पार्ट-I में वर्णित नियम 3(2) 1 से 6, c,d,e,f,g & h के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप गैर सरकारी महाविद्यालयों में सहायक प्रवक्ताओं की नियुक्ति से सम्बन्धित भर्ती प्रक्रिया हेतु चयनित समिति का गठन करना, पदों की भर्ती हेतु कम से कम दो मुख्य अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करना व तत्पश्चात भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित चयन समिति की सिफारिशों (Recommendations) को उप-कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति से अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य है। श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार सहायक प्रवक्ताओं को यूजीसी वेतनमान प्रदान किए गए हैं, परन्तु इन सहायक प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप चयन समिति के गठन से सम्बन्धित अभिलेख तथा उप-कुलपति महोदय की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे नियुक्तियों के सही होने तथा उनको प्रदान किए गए यू-जी-सी वेतनमानों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(क) श्री राजीव संख्यान सहायक प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा को प्रारम्भिक तौर पर अध्यक्ष बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास के कार्यालय आदेश संख्या 1079-80/टीसी/एसडीवी, दिनांक 13.8.1997 के

अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी खेल सहायक के पद पर रखा गया। उनके द्वारा अवधि अप्रैल, 2003 को डा0 बाबा साहिब अम्बेदकर मराकवाड़ा यूनिवर्सिटी से एमपीएड (MP Ed.) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अध्यक्ष श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 789-791/टीसी/एसडीवी, दिनांक 8.7.2003 के अन्तर्गत उनको डीपीई के पद पर 5480-160-5800-220-8925 के वेतनमान में नियुक्ति प्रदान की गई। उपरोक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में आयुक्त मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ के नियुक्ति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात उपरोक्त शिक्षक द्वारा वर्ष 2008 में विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडू से एमफिल की डिग्री प्राप्त की गई तथा अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 248-254/टीए-1/एसडीवी/2013 द्वारा उनको 1.8.2008 से यूजीसी वेतन 15600-39100+(एजीपी) 6000 पर दो नॉन कम्पाउडिंग वार्षिक वेतन वृद्धि व वार्षिक वेतन वृद्धियों को नोशनल आधार पर प्रदान करके तथा अवधि 1.4.2012 से वित्तीय लाभ करके, उनको सहायक प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति की गई, परन्तु उपरोक्त सहायक प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति से सम्बन्धित चयन समिति की सिफारिशों व उप-कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सहमति अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) श्रीमति पवना देवी सहायक प्रवक्ता लोक-प्रशासन विषय को अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1020-1021/टीए-1/एसडीवी/2013, दिनांक 20.9.2013 द्वारा अवधि 1.8.2007 से यू-जी-सी वेतनमान 15600-39100+6000(AGP) पर नियुक्ति प्रदान की गई व उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि व दो नॉन कम्पाउडिंग वार्षिक वेतन वृद्धियां 1.8.2007 से नोशनल आधार पर बढ़ाकर उनको अवधि 1.4.2012 से वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं, परन्तु उपरोक्त सहायक प्रवक्ता की नियुक्ति से सम्बन्धित चयन समिति की सिफारिशों व उप-कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) डा0 विशाल शर्मा सहायक प्रवक्ता जीव विज्ञान व डा0 शशिबाला सहायक प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान, जोकि वर्ष 2006-2007 से गेस्ट फेकल्टी (Gnes Facility) के आधार पर श्री बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत रहे, को दिनांक 1.12.2009 से उपायुक्त एवम आयुक्त मन्दिर न्यास बाबा बालक नाथ के कार्यालय पत्र संख्या 601/टीए/हमीरपुर, दिनांक 3.7.2014 के अन्तर्गत यूजीसी वेतनमान पर 15600+6000(AGP) पर वार्षिक वेतनवृद्धि का नोशनल आधार पर लाभ प्रदान करते हुए तथा दिनांक 1.7.2014 से वित्तीय लाभ देकर कम्प्रेक्सयूल आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई हैं, परन्तु उक्त नियुक्ति से सम्बन्धित चयन समिति की सिफारिशों व उप-कुलपति हिमाचल

प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है, जिनमें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) श्रीमति परमजीत कौर सहायक प्रवक्ता कामर्स को प्रारम्भिक तौर पर अध्यक्ष मन्दिर न्यास बाबा दियोटसिद्ध के कार्यालय पत्र संख्या 739-41/टीसी/एसडीवी, दिनांक 24.6.2003 के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2003-2004 हेतु निर्धारित वेतन (Fixed Pay) पर रखा गया। उपरोक्त सहायक प्रवक्ता को न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित वेतन पर सेवा विस्तार दिया जाता रहा। तत्पश्चात उक्त सहायक प्रवक्ता द्वारा वर्ष 2008 में पेरीयार यूनिवर्सिटी डीसटेन्स एजुकेशन से एमफिल की परीक्षा उत्तीर्ण की गई तथा अध्यक्ष मन्दिर न्यास के कार्यालय पत्र संख्या 961/टीए-1/एसडीवी/2010, दिनांक 10.9.2010 के अन्तर्गत उनका वेतनमान यूजीसी के वेतनमान 15600+6000 AGP पर निर्धारित करके, उनको अवधि 1.12.2009 से 24.9.2014 के लिए भुगतान किया गया तथा अवधि 25.9.2014 से उपायुक्त एवम आयुक्त मन्दिर न्यास के कार्यालय आदेश संख्या 6941/टीए-1/सेक्शन हमीरपुर, दिनांक 22.9.2014 द्वारा उपरोक्त सहायक प्रवक्ता को सहायक प्रवक्ता कामर्स के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई, परन्तु नियुक्ति से सम्बन्धित चयन समिति की सिफारिशें व उप-कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 पीएचडी/एमफिल डिग्री करने पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाने वाली अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियों (Advance Increments) के बारे में

अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा(सी) हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय ज्ञापन संख्या ईडीएन-एच(8)वी(7)34-2/2009 (Fixation) पंजीकृत, दिनांक 7.8.2015 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप माह 1.10.2014 के पश्चात पीएचडी/एमफिल डिग्री प्राप्त करने के पश्चात कोई भी नान कम्पाउडिंग अग्रिम वेतनवृद्धियां देय नहीं हैं, जिन शिक्षकों को इस तिथि से पूर्व भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया है, उनको भुगतान स्वरूप दी गई राशि का समायोजन भविष्य में उनके वेतन में होने वाली वेतनवृद्धियों से किया जाएगा। अतः इस सन्दर्भ में अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि इस सन्दर्भ में श्री बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 बाबा बालक नाथ की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में कन्ट्रेक्च्यूल आधार पर रखे गए प्रवक्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धियां गलत तरीके से निर्धारित करने पर अधिक भुगतान करना

श्री जोगिन्द्र पाल प्रवक्ता अंग्रेजी व श्रीमति सुकरमा देवी प्रवक्ता संस्कृत जोकि उक्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कन्ट्रेक्च्यूल आधार पर रखे गए हैं, को दिनांक 23.12.2009 से निम्नानुसार वर्ष के उपरान्त गलत तरीके से वार्षिक वेतनवृद्धि की प्रदान करने पर अधिक भुगतान किया गया है,

जिसकी वसूली अवर सचिव (वित्त रेगुलेशन) हि0प्र0 सरकार के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(सी)बी(7)–5/2009, दिनांक 20.11.2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए की जानी अपेक्षित है।

अवधि	देय वेतन	आहरित वेतन	अधिक भुगतान की राशि
23.12.2010 से 22.12.2011	10300+435+4200=14935	10300+440+4200=14940	12x5=60
23.12.2011 से 22.12.2012	10735+435+4200=15370	10740+450+4200=15390	12x20=240
23.12.2012 से 22.12.2013	11170+435+4200=15805	11190+470+4200=15860	12x55=660
23.12.2013 से 22.12.2014	11605+435+4200=16240	11660+480+4200=16340	12x100=1200

कुल अधिक भुगतान ₹2160

अवधि 22.12.2014 तक अधिक भुगतान की राशि

1	श्री जोगिन्द्र पाल प्रवक्ता अंग्रेजी	2160
2	श्रीमति सुकरमा देवी प्रवक्ता संस्कृत	2160
	कुल राशि	4320

24 सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत आगामी उच्च वेतनमान व वेतनवृद्धि का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण में जांच के दौरान पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुसार, न्यास के कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति से सरकारी कर्मचारियों हिमाचल प्रदेश के समकक्ष वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। न्यास में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि ऐसे कर्मचारियों, जिनका विवरण संलग्न “परिशिष्ट G” में दिया गया है, को 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किए जाने के पश्चात सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के तहत उच्च वेतनमान में एक वेतनवृद्धि व 16 वर्ष के उपरान्त एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि को स्वीकृति की गई है, जबकि अतिरिक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या फिन(पीआर)बी(7)51/98, दिनांक 15.12.1998 के नियम 4(i) व कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन(पीआर)बी(7)–51/98, दिनांक 27.3.2002 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त कर्मचारियों द्वारा टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 8 वर्ष के उपरान्त ही उनको उक्त लाभ देय है, जबकि उक्त कर्मचारियों ने अभी तक टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इस प्रकार न्यास द्वारा कर्मचारियों को उक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण न करने पर भी उनको सुनिश्चित प्रगतिशील

योजना का अनियमित लाभ दिया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाते हुए अनियमित भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

25 बाबा बालक नाथ शॉपिंग काम्प्लेक्स के साथ मुख्यद्वार के समीप श्री राधाकृष्ण मन्दिर में पेन्ट करवाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 3029, माह 12/2014 के अन्तर्गत मैसर्ज राजेश चौहान, आंचल आर्ट्स हमीरपुर को मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध के मुख्यद्वार के समीप श्री राधाकृष्ण मन्दिर में पेन्ट करने हेतु ₹7300 का भुगतान चैक संख्या 0045234, दिनांक 5.12.2014 के अन्तर्गत किया गया है। उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित निम्न अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए।

(i) करवाए गए कार्य का पूर्व प्राकलन

(ii) स्रोत पर काटे गए आय व बिक्री कर से सम्बन्धित अभिलेख

अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

26 मन्दिर न्यास द्वारा “सी” व “डी” श्रेणी के ठेकेदारों से वर्ष 2013 व 2014 में बिक्री कर की ₹69039 कम कटौती करने बारे

अवर सचिव (एक्साईज व टेक्सेशन) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या ईएक्सएनएफ(5)-1/2010-लूज, एक्साईज व टेक्सेशन विभाग, दिनांक 13.8.2012 में विनिर्दिष्ट आदेशों के अनुरूप तथा हिमाचल प्रदेश वेल्यूएडीड टेक्स नियमावली, 2005 के नियम 38 के अन्तर्गत ई एण्ड टी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की दिनांक 6.8.2012 की अधिसूचना के अनुसार “सी” व “डी” श्रेणी के ठेकेदारों से बिक्री कर की कटौती योग्य राशि को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया है, परन्तु उक्त अधिसूचना के विपरीत श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध द्वारा संलग्न “परिशिष्ट H” में दिए गए वर्णनानुसार वर्ष 2013 व वर्ष 2014 में ₹69039 की बिक्री कर की राशि कम काटी गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम काटी गई राशि को उचित स्रोत से प्राप्त वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 जलपान गृह (कैन्टीन) के कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय की राशि में ₹772 को रोकड़ वही/बैंक खाते में कम जमा करवाने बारे

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित जलपान गृह (कैन्टीन) के कूपनों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार कैन्टीन के कूपनों की बिक्री से प्राप्त राशि में से ₹772 को रोकड़ वही व बैंक खाते में कम जमा करवाया गया है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर चूककर्ता से उक्त ₹772 की वसूली करके इसे दिनांक 19.11.2015 को यूको बैंक शाखा दियोटसिद्ध में उक्त निधि में जमा करवा दिया गया, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई।

अतः भविष्य के लिए सुझाव दिया जाता है कि संस्था की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जाए।

क्र० सं०	दिनांक	सामग्री/वस्तु का नाम	कूपन/ रसीद नं०	कैन्टीन रजिस्टर में दर्ज कुल बिक्री राशि	वास्तव में दर्ज होने वाली बिक्री राशि	अन्तर राशि
1	1.4.2013	चाय समोसा, पुरी चने	8668 से 8684	228	238	10
2	4.4.2013	—यथोपरि—	8695 से 8700	60	68	8
3	4.4.2013	फ्रूटी	8805 से 8806	2475	3080	605
4	11.4.2013	चाय	8286 से 8295	127	137	10
5	11.4.2013	खाली कूपन	8223	—	8	8
6	12.4.2013	ठण्डा	46201 से 46743	4878	4887	9
7	16.4.2013	रोट देशी	70945 से 71010	650	660	10
8	18.4.2013	चने पुरी	13723 से 13733	115	165	50
9	5.5.2013	खाली कूपन	9344 से 9355	152	164	12
10	19.5.2013	खाली कूपन	9388 से 9395	106	116	10
11	7.4.2014	खाली कूपन	10991 से 11000	116	117	1
12	13.4.2014	खाली कूपन	11421 से 11554	430	444	14
13	16.4.2014	रोट डालडा	791401 से 791502	500	510	10
14	28.4.2014	रोट डालडा	130801 से 130922	1210	1220	10
15	29.4.2014	चाय	23431 से 23754	1615	1620	5
कुल योग						772

28 मन्दिर न्यास द्वारा कण्डम/नकारा सामान की न्यूनतम/आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नीलामी करने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार कण्डम/नकारा सामान की नीलामी प्रक्रिया में प्रत्येक मद हेतु निर्धारित न्यूनतम/आरक्षित मूल्य से भी कम मूल्य पर नीलामी की गई, जोकि नियमों के विपरीत है। अतः निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर कण्डम सामान की नीलामी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नीलामी प्रक्रिया में न्यास द्वारा प्रत्येक मद हेतु निर्धारित न्यूनतम/आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य पर ही नीलामी की जाए, जिससे मन्दिर की आय में बढ़ोतरी हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	सामग्री नाम	मात्रा	न्यूनतम बोली	नीलामी बोली	फर्म का नाम/खरीदने वाले का नाम	सामान रसीद नं०/दिनांक	राशि
(i) वर्ष 2013 (मेला 2013) दिनांक 26.7.2013, स्वीकृति पत्र संख्या 696/टीए-1/एसडीवी/2013							
1	स्टील फुट (प्रति फुट)	7.28.900 कि०ग्रा०	45	43.50	मैसर्ज एनके इन्टरप्राईसिस तलाई	01434 26.7.2013	31707
2	पीतल (प्रति फुट)	17.300 कि०ग्रा०	350	301.00	श्री पंकज कुमार शाहतलाई	1435 26.7.2013	5273
3	लोहा	1.16 कि०ग्रा०	30	25.00	श्री राजकुमार गांव दियोटसिद्ध	1435 26.7.2013	2900
4	लोहा (चिमटा)	2120 कि०ग्रा०	25	13.50	श्री पंकज कुमार गांव व डाकघर दियोटसिद्ध	2835 7.7.2015	28620

क्र० सं०	सामग्री नाम	मात्रा	न्यूनतम बोली	नीलामी बोली	फर्म का नाम/खरीदने वाले का नाम	सामान रसीद नं०/दिनांक	राशि
(ii) वर्ष 2014 (मेला 2014) दिनांक 27.6.2014 –स्वीकृति पत्र संख्या 907/टीए-11/एसडीवी/2014							
1	वाटर कूलर एयर कूलर फ्रिज	11 नं० 2 नं० 2 नं०		30000 24000	श्री नरेन्द्र सिंह	6079 27.6.2014	24000
2	पुराने पंखे पुराने दीवार घड़ी एग्जैट फैन कम्पनी पंखे देशी पंखे	83 नं० 33 नं० 1 नं० 6 नं० 12 नं०		25000 21500	श्री नरेन्द्र सिंह	6084 27.6.2014	21500
3	स्पीकर वडे स्पीकर बाक्स गीजर हीटर स्टैप लाईजर बैटारियां ड्राई बलोर	12 नं० 50 नं० 2 नं० 10 नं० 10 नं० 4 नं० 2 नं०		10000 3600	श्री कमल देव	6087	3600
4	प्लास्टिक बाल्टियां	18 नं०	1000	500	श्री तिलक राज	6077	500
5	तांबा	2 नं०	500	415	श्री विनोद कुमार	6096	415
6	विद्युत सामान (तारें)	—	10000	8800	श्री प्रकाश चन्द	6090	8800
7	एयर कूलर	2 नं०	4000	2000	श्री नरेन्द्र सिंह	6080	2000
8	टीवी कलर (बड़ा व छोटा)	2 नं०	500	150	श्री कमल देव	6081	150
9	लंगर का सामान बाल्टी, कड़ाई, पतीला	20 नग	50 प्रति कि० ग्रा०	35 प्रति कि० ग्रा०	श्री प्रवीण कुमार	6085	14350
10	सिलाई मशीन लालटेन मिटटी तेल स्टोव ढोलक	1 नं० 1 नं० 3 नं० 2 नं०		500 100	श्री बाकू राम	9409	100

11	टोका मशीन घड़ियां दीवार वाली टेप टू इन वन जैस्टस व लैडिज घड़ी रेडियो कैस्ट प्लेयर वीसी आर	1 नं0 19 नग 3 नग 9 नग 1 नग 4 नग 2 नग	3000	1000	श्री राकेश कुमार	6079	1000
12	लोहा अंगीठी लोहा बाल्टियां	—	1500	800	श्री तिलक राज	6100	800
13	मल्टी मैक्स गैस लाईटर लालटेन	5 नं0	1500	1000	श्री कमल देव	9402	1000
14	विद्युत सामान	—	10000	4600	श्री कमल देव	9403	4600
15	चिमटा लोहा सिंगल	575 कि० ग्रा०	राशि दर्शाई नहीं गई	37	श्री विवेक कुमार	9407	21275
16	स्टील (प्रति फुट)	985 कि० ग्रा०	50	44	श्री प्रकाश चन्द	9406	43340

29 वाहन

(क) मन्दिर न्यास के विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों (Log books) में डीजल/पेट्रोल तेल की मासिक विवरणिका में अन्तर के बारे में

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध की विभिन्न गाड़ियों की लॉग बुको की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इन गाड़ियों की डीजल/पेट्रोल तेल की मासिक विवरणिका में माह के दौरान डलवाए गए तेल व मासिक विवरणिका में निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि चूककर्ता से अन्तर के डीजल तेल की वसूली करके अपेक्षित राशि को मन्दिर न्यास खाते में राशि जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में वाहनों की लॉग बुक में डलवाए गए तेल व मासिक विवरणिका में उचित प्रविष्टियों का ईन्द्राज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	दिनांक	लॉग बुक पेज नं०	माह में विभिन्न तिथियों को डलवाए गए तेल की मात्रा (लीटर)	पेट्रोल पम्प डीलर का नाम	लॉग बुक में मार्च माह में डलवाए गए तेल की कुल दर्शाई मात्रा(लीटर)	लॉग बुक पेज नं०	अन्तर
वाहन संख्या एचपी-21 A 6800							
1	11.3.2014	28	30	मैसर्ज बाबा बालक नाथ फीलिंग स्टेशन चकमोह, दियोटसिद्ध			
2	16.3.2014	31	43	—यथोपरि—			
3	19.3.2014	31	30	—यथोपरि—			
4	23.3.2014	31	20	—यथोपरि—			

5	23.3.2014	32	40	—यथोपरि—			
6	24.3.2014	31	20	—यथोपरि—			
7	25.3.2014	32	30	—यथोपरि—			
8	27.3.2014	32	30	—यथोपरि—			
9	29.3.2014	33	30	—यथोपरि—			
10	31.3.2014	33	30	—यथोपरि—			
कुल डीजल तेल			303		263	32	40
क्र० सं०	दिनांक/ माह	लॉग बुक पेज नं०	माह में विभिन्न तिथियों को डलवाए गए तेल की मात्रा (लीटर)	पट्रोल पम्प का नाम	लॉग बुक में माह विवरणिका में दर्शाए कुल तेल की मात्रा	लॉग बुक पेज नं०	अन्तर
वाहन संख्या एचपी-21 A 6800							
1	9/2014	36	30	मैसर्ज शिवम पेट्रोलियम तलाई			
2	9/2014	46	20	मैसर्ज बाबा बालक फीलिंग स्टेशन चकमोह दियोटसिद्ध जिला हमीरपुर			
कुल डीजल तेल			50		20	42	30
वाहन संख्या एचपी-21 A 7002							
1	26.6.2013	18	10	मैसर्ज बाबा बालक फीलिंग स्टेशन चकमोह दियोटसिद्ध			
कुल पट्रोल तेल			10		शून्य	19	10
वाहन संख्या एचपी-21 3095							
1	10/2013	87	30	मैसर्ज बाबा बालक फीलिंग स्टेशन चकमोह दियोटसिद्ध जिला हमीरपुर			
2	10/2013	90	30	—यथोपरि—			
कुल डीजल तेल			60		30	90	30
					कुल अन्तर		110

(ख) वाहन संख्या एचपी-21ए-6800 के डीजल की विवरणिका में अन्तर के बारे में

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के वाहन संख्या एचपी-21ए-6800 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि लॉग बुक में दिनांक 31.8.2013 को पृष्ठ संख्या 26 पर कुल डीजल/तेल का अन्तशेष 36 लीटर बकाया दर्शाया गया था, परन्तु सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक में माह 9/2013 में दिनांक 22.9.2013 मासिक तेल खपत विवरणिका के पृष्ठ नं० 27 में पिछले माह अर्थात् 8/2013 के डीजल तेल का शेष 11 लीटर बकाया दर्शाया गया। इस प्रकार लॉग बुक में (36-11=25लीटर) कम दर्शाया गया है। अतः 25 लीटर डीजल/तेल की राशि की वसूली चूककर्ता से वसूल करके इसे न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा वाहनों की विभिन्न यात्राओं को सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से सत्यापित न करवाने बारे

मन्दिर न्यास की विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार वाहनों की विभिन्न यात्राओं को सक्षम अधिकारी/मन्दिर अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया है। अतः इन यात्राओं को सत्यापित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इन सभी यात्राओं को मन्दिर अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र० सं०	दिनांक	प्रारम्भिक रीडिंग	समाप्ति रीडिंग	तय यात्रा कि०मी०
1	14.1.2013 से 31.3.2013	3145	3937	792 कि०मी०
2	8.9.2013 से 31.12.2014	5037	10684	5647 कि०मी०

(ii) वाहन संख्या एचपी-21 A 7002

1	20.3.2013 से 29.3.2013	5821	6105	284 कि०मी०
2	1.4.2013 से 3.4.2013	6105	6207	102 कि०मी०
3	27.12.2013 से 12.8.2014	10445	14374	3929 कि०मी०
4	5.9.2014 से 27.10.2014	15760	17244	1484 कि०मी०

(iii) वाहन संख्या एचपी-21-3095

1	19.3.2013 से 2.4.2013	99276	99390	114 कि०मी०
2	17.2.2014 से 12.3.2014	101532	102494	962 कि०मी०
3	1.4.2014 से 29.10.2014	102494	104141	1647 कि०मी०

(घ) मन्दिर न्यास के वाहन संख्या एचपी 21-3095 में किलोमीटर की गलत प्रविष्टियां करने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के वाहन संख्या एचपी 21-3095 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की लॉग बुक भरते समय किलोमीटर उचित प्रकार से दर्ज नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लॉग बुक में वाहन के डीजल की खपत अधिक दर्शाई गई है। अतः निम्नविवरणानुसार ज्यादा दर्शाई गई तेल खपत की राशि की वसूली चूककर्ता से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में वाहनों की लॉग बुक में किलोमीटर का ईन्द्राज तथा योग सही ढंग से दर्ज किया जाए।

दिनांक	लॉग बुक पेज नं०	प्रारम्भिक रीडिंग कि०मी०	समाप्ति रीडिंग कि०मी०	कुल कि०मी०	लॉग बुक में दर्ज कि०मी०	अन्तर कि० मी०
4.11.13 से 29.11.13	88	100884	101222	338	438	100
गाड़ी की औसत डीजल तेल खपत जो अधिक दर्शाई गई					6कि०मी० प्रति लीटर 100/6=17 लीटर	

(ड) वाहन की औसत तेल खपत/निर्धारित औसत से कम खपत दर्शाने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के वाहन संख्या एचपी21(ए) 7002 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 30.11.2012 को लॉग बुक के पृष्ठ नं० 8 पर वाहन की औसत तेल खपत 17 किलोमीटर प्रति लीटर निर्धारित की गई थी, परन्तु निम्न विवरणानुसार वाहन की औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम पाई गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि कम पाई गई औसत तेल की खपत राशि की गणना संस्था स्तर करके अपेक्षित वसूली उचित स्रोत से की जाए तथा भविष्य में निर्धारित औसत तेल खपत के अनुसार वास्तविक खपत दर्शाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र० सं०	माह/वर्ष	माह के दौरान दर्शाई गई यात्रा कि०मी०	औसत तेल खपत जो लॉग बुक में दर्शाई गई प्रति लीटर	लॉग बुक के अनुसार तेल खर्च प्रति लीटर	निर्धारित औसत के अनुसार तेल खपत प्रति लीटर	अन्तर तेल प्रति लीटर
1	11/2013	448	16.59	27	26.35	0.65
2	12/2013	912	16.58	55	53.64	1.36
3	1/2014	535	16.21	33	31.47	1.53
4	2/2014	386	16.08	24	22.70	1.30
5	3/2014	1142	16.20	70	67	3.00
6	4/2014	482	16.00	30	28	2.00
7	6/2014	864	16.00	54	50	4.00
8	7/2014	256	16.00	16	15	1.00
9	8/2014	1176	16.00	73	69	4.00
10	9/2014	1536	16.51	93	90	3.00
11	10/2014	326	16.30	20	19	1.00
12	11/2014	1072	15.22	70	63	7.00
13	12/2014	1053	15.98	66	61	5.00
						अन्तर 34.84

(च) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के वाहन संख्या एचपी 21-3095 से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास के पत्र संख्या टीटीबीबीएन/ वाहन/ स्टोर/दियोटसिद्ध-3240-42, दिनांक 27.10.2014 के अनुसार, मन्दिर न्यास द्वारा संचालित संदाव्रत लंगर हेतु दानस्वरूप राशन लाने हेतु के लिए वाहन के ड्राइवर श्री नरेन्द्र सिंह व श्री हेम राज (श्रमिक) को दियोटसिद्ध से जालंधर जाने के लिए आदेश दिए गए, परन्तु सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक की जांच में इस यात्रा से सम्बन्धित यह विवरण दर्ज नहीं पाया गया, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि श्रद्धालुओं द्वारा दानस्वरूप दी गई लंगर सामग्री मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त की अन्यथा नहीं? अतः दानस्वरूप प्राप्त लंगर सामग्री की यथास्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के वाहन संख्या एचपी-21-3095 से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास के पत्र संख्या टीटीबीबीएन/वाहन/964-65, दिनांक 29.4.2014 के अनुसार वाहन ड्राइवर श्री नरेन्द्र सिंह व श्री जैसी राम (सहायक) को दियोटसिद्ध से आनंदपुर साहित (पंजाब) से दानस्वरूप विभूति की पैकिंग मशीन लाने हेतु मन्दिर अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए, परन्तु सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक की जांच में इस यात्रा की प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गई, जिससे दानस्वरूप दी गई विभूति पैकिंग की मशीन मन्दिर न्यास ने प्राप्त की गई अथवा नहीं, इसकी पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की गई। अतः विभूति की पैकिंग मशीन की यथास्थिति व उपरोक्त यात्रा की वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने के लिए विभिन्न विभागों के पास जमा की गई ₹4562000 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों व सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने के लिए दिनांक 31.12.2014 तक ₹4562000 विभिन्न विभागों के पास जमा की गई, जिसका विस्तृत विवरण “परिशिष्ट I” में दिया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के विरुद्ध जमा की गई उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

31 उपमण्डलाधिकारी (ना) बड़सर को ऋण के रूप में भुगतान की गई ₹32500 को वापिस मन्दिर निधि में जमा न करवाने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 2.12.2014 को चैक संख्या 605179 के अन्तर्गत उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) बड़सर कार्यालय को ₹32500 का ऋण के रूप में भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण “परिशिष्ट J” में दिया गया है। उक्त ऋण की ₹32500 मन्दिर न्यास खाते में वापिस जमा नहीं की गई है। अतः ऋण के रूप में भुगतान गई राशि को न्यास खाते में वापिस जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ऋण की राशि की अविलम्ब वसूली करके, इसे वापिस मन्दिर निधि में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्रवाई अमल में लाई जाए।

32 मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न कार्यालयों/संस्थाओं को दी गई अग्रिम ₹3000000 का समायोजन न करने बारे

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण के दौरान अग्रिम राशियों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न संस्थाओं/कार्यालयों को दिनांक 31.12.2014 तक अग्रिम ₹3000000 भुगतान की गई,

जिसका विस्तृत विवरण “परिशिष्ट K” में दिया गया है, परन्तु इन राशियों का समायोजन न्यास द्वारा नहीं किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता हैं। अतः अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का अविलम्ब समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी अग्रिम रूप में दी गई राशियों का समायोजन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि न्यास के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित होती है। अतः न्यास द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नियमों के अनुरूप करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

34 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

35 निष्कर्ष:— लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(xiv)195/97 खण्ड-6-2622-24 दिनांक, 11.06.2016
शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

- पंजीकृत:—1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी दियोटसिद्ध, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।
- 2 उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
 - 3 उप मण्डल अधिकारी बड़सर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
 - 4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009
 6. अवर सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

परिषिष्ट "A"

(पैरा संख्या-1 (घ) में सन्दर्भित)

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध, जिला हमीरपुर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत पैरो की अवधि 1/2001 से 12/2012 तक की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2001

1	पैरा-5 (क) 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (क) 8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (क) 8 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (क) 17	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (क) 11 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (क) (15)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1	पैरा-6 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (10)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (13)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (15)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (23)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (27)	अनिर्णीत
7	पैरा-6 (31)	अनिर्णीत
8	पैरा-6 (54)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2003

1	पैरा-5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (1) (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (12) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (12) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (12) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (14) (क)	अनिर्णीत
7	पैरा-6 (14) (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-6 (16)	अनिर्णीत
9	पैरा-6 (18) (क)	अनिर्णीत
10	पैरा-6 (18) (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा-6 (32)	अनिर्णीत
12	पैरा-6 (33) (क)	अनिर्णीत
13	पैरा-6 (33) (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-6 (35)	अनिर्णीत
15	पैरा-6 (36) (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-7 (4)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2004

1	पैरा-6.4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-6.7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा-6.7 (ख)	अनिर्णीत

4	पैरा-6.7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-6.9 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-6.9 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा-6.9 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा-6.9 (घ)(1)	अनिर्णीत
9	पैरा-6.9 (घ)(2)	अनिर्णीत
10	पैरा-6.9 (ङ.)	अनिर्णीत
11	पैरा-6.9 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा-6.9 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा-6.9 (ज)	अनिर्णीत
14	पैरा-6.9 (झ)(1)	अनिर्णीत
15	पैरा-6.9 ((झ)(2)	अनिर्णीत
16	पैरा-6.11	अनिर्णीत
17	पैरा-6.13	अनिर्णीत
18	पैरा-6.14 (क)	अनिर्णीत
19	पैरा-6.14 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा-6.15 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा-6.15 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा-6.19 (क)	अनिर्णीत
23	पैरा-6.19 (ख)	अनिर्णीत
24	पैरा-6.20 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा-6.20 (ग)	अनिर्णीत
26	पैरा-6.21	अनिर्णीत
27	पैरा-6.23	अनिर्णीत
28	पैरा-6.27 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा-6.27 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा-6.27 (ग)	अनिर्णीत
31	पैरा-6.27 (घ)	अनिर्णीत
32	पैरा-6.27 (ङ.) (1)	अनिर्णीत
33	पैरा-6.27 (ङ.) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा-6.27 (ङ.) (3)	अनिर्णीत
35	पैरा-6.27 (च) (1)	अनिर्णीत
36	पैरा-6.27 (च) (2)	अनिर्णीत
37	पैरा-6.27 (च) (3)	अनिर्णीत
38	पैरा-6.27 (च) (4)	अनिर्णीत
39	पैरा-6.27 (छ) (1)	अनिर्णीत
40	पैरा-6.27 (छ) (2)	अनिर्णीत
41	पैरा-6.27 (छ) (3)	अनिर्णीत
42	पैरा-6.27 (ज) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा-6.27 (झ) (1)	अनिर्णीत
44	पैरा-6.27 (झ) (2)	अनिर्णीत
45	पैरा-6.28	अनिर्णीत
46	पैरा-6.43	अनिर्णीत
47	पैरा-6.45	अनिर्णीत
48	पैरा-6.46	अनिर्णीत
49	पैरा-6.50 (क)	अनिर्णीत

50	पैरा-6.50 (ख)	अनिर्णीत
51	पैरा-6.57	अनिर्णीत
52	पैरा-6.64	अनिर्णीत
53	पैरा-6.71 (क)	अनिर्णीत
54	पैरा-6.71 (ख)	अनिर्णीत
55	पैरा-6.71 (ग)(1)	अनिर्णीत
56	पैरा-6.71 (ग)(2)	अनिर्णीत
57	पैरा-6.74	अनिर्णीत
58	पैरा-6.75	अनिर्णीत
59	पैरा-6.78	अनिर्णीत
60	पैरा-6.79(क)	अनिर्णीत
61	पैरा-6.79(ख)	अनिर्णीत
62	पैरा-7.1	अनिर्णीत
63	पैरा-7.2	अनिर्णीत
64	पैरा-7.3	अनिर्णीत
65	पैरा-7.4	अनिर्णीत
66	पैरा-7.5	अनिर्णीत
67	पैरा-9.2	अनिर्णीत
68	पैरा-9.3	अनिर्णीत
69	पैरा-9.5	अनिर्णीत
70	पैरा-10.7	अनिर्णीत

(ङ) अंकक्षेपण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005

1	पैरा-5.4	अनिर्णीत
2	पैरा-11	अनिर्णीत
3	पैरा-13	अनिर्णीत
4	पैरा-16	अनिर्णीत
5	पैरा-21.1	अनिर्णीत
6	पैरा-21.2	अनिर्णीत
7	पैरा-22	अनिर्णीत
8	पैरा-25.1	अनिर्णीत
9	पैरा-25.2	अनिर्णीत
10	पैरा-25.3	अनिर्णीत
11	पैरा-27	अनिर्णीत
12	पैरा-28.1	अनिर्णीत
13	पैरा-28.2	अनिर्णीत
14	पैरा-28.3	अनिर्णीत
15	पैरा-29.1	अनिर्णीत
16	पैरा-29.2	अनिर्णीत
17	पैरा-30.1	अनिर्णीत
18	पैरा-30.2	अनिर्णीत
19	पैरा-30.3	अनिर्णीत
20	पैरा-30.4	अनिर्णीत
21	पैरा-30.5	अनिर्णीत
22	पैरा-31	अनिर्णीत
23	पैरा-32.1	अनिर्णीत

24	पैरा-32.2	अनिर्णीत
25	पैरा-32.4	अनिर्णीत
26	पैरा-32.5	अनिर्णीत
27	पैरा-32.6	अनिर्णीत
28	पैरा-33	अनिर्णीत
29	पैरा-38.1	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2006

1	पैरा-7	अनिर्णीत
2	पैरा-8	अनिर्णीत
3	पैरा-10.1	अनिर्णीत
4	पैरा-12.1 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा-12.2	अनिर्णीत
6	पैरा-13	अनिर्णीत
7	पैरा-14	अनिर्णीत
8	पैरा-15	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2007 से 12/2007

1	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-7	अनिर्णीत
4	पैरा-9	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा-11 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-13 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-15	अनिर्णीत
11	पैरा-16	अनिर्णीत
12	पैरा-17	अनिर्णीत
13	पैरा-20	अनिर्णीत
14	पैरा-21.2	अनिर्णीत
15	पैरा-22	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2008

1	पैरा-5.2	अनिर्णीत
2	पैरा-7	अनिर्णीत
3	पैरा-10	अनिर्णीत
4	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा-12	अनिर्णीत
7	पैरा-13	अनिर्णीत
8	पैरा-14	अनिर्णीत
9	पैरा-18	अनिर्णीत
10	पैरा-19	अनिर्णीत
11	पैरा-20 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा-20 (ख)	अनिर्णीत

13	पैरा-22	अनिर्णीत
14	पैरा-25 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा-25 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-26	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009

1	पैरा-8	अनिर्णीत
2	पैरा-10	अनिर्णीत
3	पैरा-11 (ग) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा-11 (ग) 2	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (ग) 3	अनिर्णीत
6	पैरा-12	अनिर्णीत
7	पैरा-13	अनिर्णीत
8	पैरा-18 (i)	अनिर्णीत
9	पैरा-18 (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा-18 (iii)	अनिर्णीत
11	पैरा-21	अनिर्णीत
12	पैरा-23	अनिर्णीत
13	पैरा-24	अनिर्णीत
14	पैरा-26	अनिर्णीत
15	पैरा-27 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा-27 (ख)	अनिर्णीत
17	पैरा-36 (क)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1	पैरा-5.1	अनिर्णीत
2	पैरा-5.2	अनिर्णीत
3	पैरा-5.2 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा-5.2 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा-5.2 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा-7.2	अनिर्णीत
7	पैरा-7.3	अनिर्णीत
8	पैरा-10.2	अनिर्णीत
9	पैरा-10.3	अनिर्णीत
10	पैरा-10.4	अनिर्णीत
11	पैरा-10.5 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा-10.5 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा-10.6	अनिर्णीत
14	पैरा-10.7	अनिर्णीत
15	पैरा-10.8	अनिर्णीत
16	पैरा-10.9	अनिर्णीत
17	पैरा-10.11	अनिर्णीत
18	पैरा-10.12	अनिर्णीत
19	पैरा-10.13	अनिर्णीत
20	पैरा-13.6	अनिर्णीत
21	पैरा-15	अनिर्णीत
22	पैरा-16	अनिर्णीत

23	पैरा-17	अनिर्णीत
24	पैरा-19	अनिर्णीत
25	पैरा-23.1	अनिर्णीत
26	पैरा-23.2	अनिर्णीत
27	पैरा-23.3	अनिर्णीत
28	पैरा-23.4	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011

1	पैरा-5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अंशतः (सम्बन्धित विदेशी मुद्रा की माह 9/2011 में जमा राशि की जांच इस अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है)
5	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-8 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा-8 (ज)	अनिर्णीत
8	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-9 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा-9 (घ)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा-9 (ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा-9 (च)	अनिर्णीत
14	पैरा-9 (छ)	अनिर्णीत
15	पैरा-9 (ज)	अनिर्णीत
16	पैरा-9 (ट)	अंशतः (श्री शमशेर चन्द शर्मा दिनांक 26.4.2005 से प्रवीणता वेतन वृद्धि के स्थान पर अपने जूनियर के बराबर दूसरी बार स्टेप अप के पात्र थे। अतः 2 nd step up की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दर्शाये)
17	पैरा-9 (ठ)	अनिर्णीत
18	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत
19	पैरा-10 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा-11 (ग)	अनिर्णीत
23	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत
24	पैरा-11 (ङ.)	अनिर्णीत
25	पैरा-12 (ख)	अनिर्णीत
26	पैरा-13	अनिर्णीत
27	पैरा-14	अनिर्णीत
28	पैरा-15	अनिर्णीत
29	पैरा-16	अनिर्णीत
30	पैरा-17	अनिर्णीत
31	पैरा-19	अनिर्णीत
32	पैरा-20	अनिर्णीत
33	पैरा-21 (क)	अनिर्णीत

34	पैरा-21 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा-21 (ग)	अनिर्णीत
36	पैरा-22 (क)	अनिर्णीत
37	पैरा-22 (ड.)(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
38	पैरा-22 (च)	अनिर्णीत
39	पैरा-23	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2012

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹70500 बैंक ड्राफ्ट संख्या 488594, दिनांक 19.2.2014 के द्वारा जमा करवा दी गई है)
2	पैरा-4 (i)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4(i) में प्रारूपित)
3	पैरा-4 (ii)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4(ii) में प्रारूपित)
4	पैरा-4 (iii)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4(iii) में प्रारूपित)
5	पैरा-4 (iv)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4(iv) में प्रारूपित)
6	पैरा-5 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा-6 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6(क) में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा-6 (ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6(ख) में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा-6 (ख) नोट	निर्णीत	(स्टॉक ईन्द्राज रजिस्टर पेज संख्या 175 क्रमांक 1 व 2 पर कर लिया गया है)
11	पैरा-6 (ग)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण के पैरा संख्या 6(ड) में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा-6 (घ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6(च) में पुनः प्रारूपित)
13	पैरा-7 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा-7 (ख)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
15	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा-8 (क)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
17	पैरा-8 (ख)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
18	पैरा-8 (ग)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
19	पैरा-8 (घ)	अनिर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई की जानी शेष है)
20	पैरा-8 (ड)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
21	पैरा-8 (च)	निर्णीत	(सम्बन्धित प्रविष्टि अभिलेख में कर ली गई है, जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में की गई है)
22	पैरा-8 (छ)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
23	पैरा-8 (ज)	अनिर्णीत	
24	पैरा-8 (झ)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
25	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा-9 (ग)	निर्णीत	(सम्बन्धित सर्व स्टॉक रजिस्ट्रों में अपेक्षित स्टॉक ईन्द्राज कर लिए गए हैं)

28	पैरा-10 (क)	अशंत निर्णीत	(श्री अनिल कुमार पुस्तकालय अटेनडेंट की ग्रेड पे माह 11/14 से घटा दी गई है। माह 1.10.2012 से 10/14 तक की वसूली शेष है)
29	पैरा-10 (ख)	अशंत निर्णीत	(₹6000 की कटौती ₹500 प्रति माह की दर से कर ली गई है। ₹2309 की वसूली की जानी शेष है)
30	पैरा-10 (ग)	अशंत अनिर्णीत	(न्यास द्वारा विशेष भत्ते की वसूली की जा रही है तथा संलग्न “परिशिष्ट L” में दिए विवरणानुसार वसूली की जा रही है)
31	पैरा-10 (घ)	अनिर्णीत	
32	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	
33	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा-12 (क)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
35	पैरा-12 (ख)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
36	पैरा-13	अनिर्णीत	
37	पैरा-14	निर्णीत	(₹39206 वर्ष 2012 की शेष राशि का सीमेंट सीविल सप्लाय निगम से बिल संख्या 1901386335, दिनांक 24.1.2014 के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया गया, जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में की गई है)
38	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
39	पैरा-15 (ख)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
40	पैरा-15 (ग)	अनिर्णीत	
41	पैरा-15 (घ)	अनिर्णीत	
42	पैरा-16	अनिर्णीत	
43	पैरा-17 (क)	अनिर्णीत	
44	पैरा-17 (ख)	अनिर्णीत	
45	पैरा-17 (ग)	अनिर्णीत	
46	पैरा-17 (घ)	अनिर्णीत	
47	पैरा-18	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है)
48	पैरा-19	अनिर्णीत	
49	पैरा-20	अनिर्णीत	
50	पैरा-21 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
51	पैरा-22	अनिर्णीत	
52	पैरा-23	अनिर्णीत	
53	पैरा-24	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष	305
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	+31
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	-24
शेष अनिर्णीत पैरे (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2013 से 12/2014 तक)	312